संघ लोक सेवा आयोग

राष्ट्रीय रक्षा अकादमी तथा नौसेना अकादमी परीक्षा-II, 2026

परीक्षा नोटिस सं. 10/2026-एनडीए- II	
परीक्षा अधिसूचित होने की तारीख	20.05.2026
आवेदन भरने की अंतिम तारीख	09.06.2026
परीक्षा की तारीख	13.09.2026

(आयोग की वेबसाइट https://upsc.gov.in)

उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

पंजीकरण तथा आवेदन प्रपत्र ऑनलाइन भरने के लिए संघ लोक सेवा आयोग के ऑन-लाइन आवेदन पोर्टल के चार काड्र्स/मॉड्यूल हैं जिनमें से तीन यथा अकाउंट खोलना, यूनिवर्सल पंजीकरण तथा समान आवेदन प्रपत्र सभी परीक्षा आवेदनों के लिए एक समान हैं और उम्मीदवार द्वारा किसी भी समय भरे जा सकते हैं जबकि चौथा कार्ड/मॉड्यूल परीक्षा विशेष से संबंधित है जिसे किसी परीक्षा की अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर भरा जा सकता है। आवेदक वेबसाइट https://upsconline.nic.in का प्रयोग करके ऑनलाइन आवेदन करें।

उम्मीदवार द्वारा ऑनलाइन आवेदन पोर्टल पर पंजीकरण करने के बाद यूनिवर्सल पंजीकरण संख्या (यूआरएन) जनरेट होती है जो आयोग की सभी परीक्षाओं के लिए समान होती है। परीक्षा विशिष्ट प्रपत्र भरने के बाद, एक आवेदन संख्या जनरेट की जाती है, जो परीक्षा विशिष्ट होती है और आवेदक द्वारा आयोग के साथ किसी भी भावी पत्राचार के लिए इसे यूआरएन के साथ सुरक्षित रखा जाना अपेक्षित है। यूआरएन जीवनकाल में एक ही बार पंजीकृत करना होगा। जहाँ एक ओर यूआरएन एक ही रहेगा और वही हमेशा प्रयुक्त होगा वहीं दूसरी ओर आवेदन संख्या परिवर्तनीय होगी और प्रत्येक परीक्षा में बदलती रहेगी।

आवेदन प्रपत्र भरने और दस्तावेज अपलोड करने के लिए उम्मीदवारों को दिशा-निर्देश देने हेतु विस्तृत अनुदेश और सभी प्रोफाइल/मॉड्यूल इस पोर्टल के मुख्य पृष्ठ पर उपलब्ध हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे इन अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें और पहले से अपने अपेक्षित दस्तावेज तैयार रखें ताकि आवेदन प्रपत्र भरने और दस्तावेज अपलोड करने में कोई परेशानी न हो।

आईडी तथा अन्य विवरणों के आसान, सरल और निर्बाध सत्यापन तथा अधिप्रमाणन के लिए आईडी दस्तावेज के रूप में आवेदकों को अपने आधार कार्ड का ही इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है।

1. <u>उम्मीदवार परीक्षा के लिए अपनी पात्रता सुनिश्चित कर लें :</u>

सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे सरकार (रक्षा मंत्रालय) द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी तथा नौसेना अकादमी परीक्षा-II, 2026 की नियमावली तथा इस नियमावली के आधार पर तैयार नोटिस को ध्यान से पढ़े। परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को सुनिश्चित करना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश हेतु सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। परीक्षा के सभी चरणों में उनका प्रवेश पूर्णत: अनंतिम होगा बशर्ते कि वे निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हों। **उम्मीदवार को ई-प्रवेश पत्र जारी किए जाने मात्र का अर्थ यह नहीं होगा कि आयोग द्वारा उनकी उम्मीदवारी अंतिम रूप से सुनिश्चित कर दी गई है।** उम्मीदवार द्वारा साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण में अर्हता प्राप्त करने के बाद ही मूल प्रमाण पत्रों के संदर्भ में पात्रता शर्तों का सत्यापन किया जाता है।

2. आवेदन कैसे करें :

उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट https://upsconline.nic.in का प्रयोग करके ऑनलाइन आवेदन करें। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन प्रपत्र भरने से पहले सामान्य अनुदेशों, प्रोफाइल/मॉड्यूल-वार अनुदेशों और दस्तावेज अपलोड करने संबंधी अनुदेशों को ध्यान से पढ़ लें। यह अनुदेश मुख्य पृष्ठ के मेन्यू बार में उपलब्ध हैं। वह उम्मीदवार जो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और नौसेना अकादमी परीक्षा-II, 2026 के लिए आवेदन करने का इच्छुक है उसे जन्म तिथि, शैक्षिक योग्यता आदि से संबंधित विभिन्न दावों के लिए आयोग द्वारा अपेक्षित जानकारी और सहयोगी दस्तावेज यूनिवर्सल पंजीकरण संख्या (यूआरएन), समान आवेदन प्रपत्र (सीएएफ) तथा चौथा मॉड्यूल अर्थात परीक्षा विशिष्ट मॉड्यूल (शुल्क एवं केंद्र के साथ) के साथ जमा करने होंगे। समान आवेदन प्रपत्र (सीएएफ) के साथ अपेक्षित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर परीक्षा के लिए उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी।

टिप्पणी 1: <u>यूनिवर्सल पंजीकरण संख्या (यूआरएन) विवरण को एक बार संशोधित करने की सुविधा:</u>

आयोग उम्मीदवारों को अपने यूनिवर्सल पंजीकरण संख्या (यूआरएन) विवरण को एक बार अद्यतन या संशोधित करने की सुविधा प्रदान करता है। कृपया ध्यान दें कि यूआरएन विवरण में किए गए बदलाव, पहले से जमा हो चुके आवेदनों में दिखाई नहीं देंगे। अद्यतन सूचना केवल उन आवेदनों पर लागू होगी जो उम्मीदवार द्वारा आवश्यक बदलाव करने और यूआरएन विवरण को सफलतापूर्वक पुनः लॉक करने के बाद जमा किए गए हैं।

टिप्पणी 2:   <u>समान आवेदन प्रपत्र (सीएएफ) भरने के लिए लाइव-फोटो कैप्चर:</u>

आवेदकों द्वारा समान आवेदन प्रपत्र (सीएएफ) भरते समय अपने फोटोग्राफ अपलोड करना और लाइव-फोटोग्राफ कैप्चर करना अपेक्षित है। आवेदक यह अवश्य सुनिश्चित करें कि अपलोड की गई फोटोग्राफ और कैप्चर की गई लाइव-फोटोग्राफ आयोग की वेबसाइट https://upsconline.nic.in पर उपलब्ध "अनुदेश तथा प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न" (एफएक्यू) > प्रपत्र भरने संबंधी अनुदेश > फोटो और हस्ताक्षर" में दिए गए अनुदेशों के अनुसार स्पष्ट हो।

टिप्पणी 3: हस्ताक्षर अपलोड करना

आवेदकों को सादे सफेद कागज पर काली स्याही के पेन से तीन बार (एक के नीचे एक) हस्ताक्षर करने होंगे और समान आवेदन प्रपत्र (सीएएफ) भरते समय उसे अपलोड करना होगा। अपलोड किए गए हस्ताक्षर स्पष्ट और सुपाठ्य होने चाहिए। उम्मीदवारों को आयोग की वेबसाइट https://upsconline.nic.in पर "अनुदेश और प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न" के अंतर्गत उपलब्ध हस्ताक्षर अपलोड करने संबंधी अनुदेश देखने की सलाह दी जाती है।

टिप्पणी 4: फ़ोटो अपलोड करना

कृपया ऑनलाइन आवेदन पोर्टल के मुख्य पृष्ट पर दस्तावेज़ अपलोड करने संबंधी अनुदेशों में दिए गए फोटो अपलोड करने संबंधी अनुदेशों का पालन करें।

2.1 आवेदन वापस लेना:

आवेदन जमा करने के बाद उम्मीदवारों को अपने आवेदन वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा, आवेदन प्रपत्र जमा करने के बाद किसी भी क्षेत्र (क्षेत्रों) में किसी भी सुधार/परिवर्तन/संशोधन की अनुमति नहीं है।

2.2 उम्मीदवार के पास किसी एक फोटो पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र (ईपीआईसी)/पैन कार्ड/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस/स्कूल फोटो पहचान-पत्र अथवा राज्य/केंद्र सरकार द्वारा जारी किसी अन्य फोटो पहचान पत्र का विवरण भी होना चाहिए। इस फोटो पहचान पत्र का विवरण उम्मीदवार द्वारा यूनिवर्सल पंजीकरण संख्या (यूआरएन) विवरण भरते समय उपलब्ध कराना होगा। इस फोटो आईडी का उपयोग भविष्य के सभी संदर्भों के लिए किया जाएगा और उम्मीदवार को परीक्षा/एसएसबी के लिए उपस्थित होते समय इसी पहचान पत्र को साथ ले जाने की सलाह दी जाती है।

2.3 आईडी तथा अन्य विवरणों के सरल और निर्बाध सत्यापन तथा अधिप्रमाणन के लिए आईडी दस्तावेज के रूप में आवेदकों को अपने आधार कार्ड का ही इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है।

3. आवेदन प्रपत्र भरने की अंतिम तारीख:

ऑनलाइन आवेदन 09 जून, 2026 को शाम 06.00 बजे तक भरे जा सकते हैं।

4. ई-प्रवेश पत्र जारी करना:

पात्र उम्मीदवारों को परीक्षा की तारीख के पिछले सप्ताह के अंतिम कार्य-दिवस को ई-प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। ई-प्रवेश पत्र उम्मीदवारों द्वारा डाउनलोड करने हेतु आयोग की वेबसाइट (https://upsconline.nic.in) पर उपलब्ध होंगे। प्रवेश-पत्र डाक या ई-मेल से नहीं भेजे जाएंगे।

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे एकांउट बनाते समय वैध तथा सक्रिय ई-मेल आईडी प्रदान करें क्योंकि आयोग उनसे संपर्क करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का इस्तेमाल कर सकता है।

5. <u>ओएमआर शीट में उत्तर चिन्हित करना:</u>

ओएमआर शीट (उत्तर पत्रक) में उत्तर लिखने और चिन्हित करने के लिए उम्मीदवार केवल **काले बॉल पेन** का प्रयोग करें। किसी अन्य रंग के पेन की अनुमति नहीं है। पेंसिल या स्याही वाले पेन का प्रयोग नहीं करें। उम्मीदवार ध्यान दें कि ओएमआर शीट में विवरण को एनकोड करने/भरने में विशेषकर अनुक्रमांक और परीक्षण पुस्तिका श्रृंखला कोड के मामले में कोई भी त्रुटि/चूक/विसंगति होने पर, उत्तर पत्रक अस्वीकृत किया जा सकता है। **उम्मीदवार को यह भी सलाह दी जाती है कि वे नोटिस के परिशिष्ट-II में दिए गए "विशिष्ट अनुदेश" को ध्यान से पढ़ें।**

6. <u>गलत उत्तरों के लिये दंड :</u>

उम्मीदवार नोट कर लें कि वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्रों में उम्मीदवार द्वारा दिए गए गलत उत्तरों के लिए दंड **(नेगेटिव मार्किंग)** दिया जाएगा।

7. <u>प्रश्न-पत्र तथा अनंतिम उत्तर कुंजी के लिए ऑनलाइन अभ्यावेदन पोर्टल:</u>

आयोग राष्ट्रीय रक्षा अकादमी तथा नौसेना अकादमी परीक्षा के प्रश्न पत्रों में पूछे गए प्रश्नों तथा वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्र (पत्रों) की उत्तर कुंजी के संबंध में परीक्षा में उपस्थित हुए उम्मीदवारों द्वारा आयोग को दिए जाने वाले अभ्यावेदनों के लिए पांच (05) दिन अर्थात् परीक्षा की तारीख के तीसरे दिन से सातवें दिन सायं 06:00 बजे तक की समय सीमा प्रदान करेगा। परीक्षा में उपस्थित हुए उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट **https://upsconline.nic.in** पर लॉग-इन करें तथा प्रश्न पत्र के संबंध में अभ्यावेदन यदि कोई हो, तो 'परीक्षा > प्रश्न पत्र तथा अनंतिम उत्तर कुंजी' संबंधी अभ्यावेदन शीर्ष के अंतर्गत जमा कर सकते हैं। ई-मेल/डाक/दस्ती रूप से या किसी अन्य माध्यम से प्राप्त कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार्य नहीं होगा और आयोग इस संबंध में उम्मीदवारों के साथ कोई पत्राचार नहीं करेगा। 05 दिन की विंडो के बंद होने के पश्चात किसी भी परिस्थिति में प्राप्त कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

8. <u>उम्मीदवार सहायता डेस्क</u>

आयोग ने आवेदन प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों की सहायता के लिए एक विशेष हेल्पलाइन स्थापित की है। आवेदन प्रक्रिया या परीक्षा विवरण से संबंधित स्पष्टीकरण, मार्गदर्शन या सहायता चाहने वाले उम्मीदवार हेल्पलाइन **011-24041001/011-40303444** अथवा ई-मेल आईडी-upscsoap@nic.in पर संपर्क कर सकते हैं। यह हेल्पलाइन आवेदन विंडो की समयावधि के दौरान अर्थात् **20.05.2026 से 09.06.2026** तक सभी कार्यदिवसों में **प्रातः 10:00 बजे से सायं 05:30** बजे तक सक्रिय रहेगी। आवेदक शुल्क के भुगतान, दस्तावेज अपलोड करने आदि सहित आवेदन प्रक्रिया से संबंधित किसी भी समस्या के लिए इस सेवा का प्रयोग कर सकते हैं।

9. <u>मोबाइल फोन प्रतिबंधित:</u>

(क) किसी भी मोबाइल फोन (स्विच ऑफ मोड में भी), पेजर या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या प्रोग्रामेबल उपकरण या स्टोरेज मीडिया जैसे कि पेन ड्राइव, स्मार्ट घड़ियाँ आदि अथवा कैमरा या ब्लू टूथ उपकरण अथवा कोई अन्य उपकरण या उससे संबंधित सहायक सामग्री, (चालू अथवा स्विच ऑफ मोड में) जिसे परीक्षा के दौरान संचार उपकरण के तौर पर उपयोग किया जा सकता है, का प्रयोग पूर्णतया प्रतिबंधित है। इन अनुदेशों का उल्लंघन किए जाने पर दोषियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने सहित उन्हें भावी परीक्षाओं में भाग लेने से विवर्जित भी किया जा सकता है।

(ख) उम्मीदवारों को उनके अपने हित में बैग, मोबाइल फोन सहित कोई भी प्रतिबंधित वस्तु अथवा मूल्यवान/महंगी वस्तु परीक्षा स्थल पर न ले जाने की सलाह दी जाती है,क्योंकि सामान की सुरक्षा हेतु परीक्षा स्थल पर कोई व्यवस्था **नहीं** की जाएगी। आयोग इस संबंध में किसी भी नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

10. <u>परीक्षा स्थल पर रिपोर्ट करना:</u>

परीक्षा स्थल पर उम्मीदवारों का प्रवेश परीक्षा के प्रत्येक सत्र के आरंभ होने से 30 मिनट पहले बन्द किया जाएगा। किसी भी उम्मीदवार को किसी भी परिस्थिति में प्रवेश बन्द होने के बाद प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।

11. परीक्षा स्थल पर उम्मीदवारों के लिए फेस-ऑथेंटिकेशन-

सुरक्षित एवं निर्बाध परीक्षा प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए सभी उम्मीदवारों को परीक्षा-स्थल पर अनिवार्य रूप से फेस-ऑथेंटिकेशन की प्रक्रिया से गुजरना होगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे फेस-ऑथेंटिकेशन/पहचान के सत्यापन तथा फ्रिस्किंग के लिए पर्याप्त समय पहले परीक्षा-स्थल पर पहुंचे।

उम्मीदवारों को आयोग की वेबसाइट https://upsconline.nic.in के माध्यम से ही आवेदन करना होगा। किसी दूसरे मोड द्वारा आवेदन करने की अनुमति नहीं है।
"सरकार ऐसे कार्यबल के लिए प्रयत्नशील है जिसमें पुरुष तथा महिला उम्मीदवारों की संख्या में संतुलन बना रहे तथा महिला उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।"

<u>फा.सं.7/01/2026-प.1(ख):</u> राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के थल सेना, नौसेना तथा वायु सेना स्कंधों में प्रवेश के लिए **01 जुलाई, 2027** से शुरू होने वाले **158वें पाठयक्रम** और भारतीय नौसेना अकादमी के **120 वें** पाठ्यक्रम (आईएनएसी) में प्रवेश हेतु संघ लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक **13 सितम्बर, 2026** को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी तथा नौसेना अकादमी परीक्षा-II, 2026 आयोजित की जाएगी।

यदि आवश्यक हो तो आयोग उपर्युक्त परीक्षा की तारीख में परिवर्तन कर सकता है।

इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर भरी जाने वाली रिक्तियों की अनुमानित संख्या निम्नानुसार होगी:-

<table>
<tr><th rowspan="2">अकादमी</th><th rowspan="2">सेवा</th><th colspan="2">रिक्तियां</th><th rowspan="2">कुल</th></tr>
<tr><th>पुरुष</th><th>महिला</th></tr>
<tr><td rowspan="6">राष्ट्रीय रक्षा अकादमी</td><td>सेना</td><td>198</td><td>10</td><td>208</td></tr>
<tr><td>नौसेना</td><td>37</td><td>05</td><td>42 (सभी कार्यकारी शाखा)</td></tr>
<tr><td colspan="4">वायु सेना</td></tr>
<tr><td>(i) फ्लाइंग</td><td>90</td><td>02</td><td>92</td></tr>
<tr><td>(ii) ग्राउन्ड ड्यूटी (तकनीकी)</td><td>16</td><td>02</td><td>18</td></tr>
<tr><td>(iii) ग्राउन्ड ड्यूटी (गैर-तकनीकी)</td><td>08</td><td>02</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">नौसेना अकादमी (10+2 कैडेट एंट्री स्कीम)</td><td>21</td><td>03</td><td>24 (सभी कार्यकारी शाखा)</td></tr>
<tr><td colspan="2">कुल</td><td>370</td><td>24</td><td>394</td></tr>
</table>

टिप्पणी: मौजूदा और भविष्य के परिदृश्यों में यथापरिकल्पित बल की प्रचालनात्मक और प्रशासनिक जरूरतों के मद्देनजर भारतीय सेना विभिन्न सेवाओं और प्रविष्टियों हेतु पुरूषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग रिक्तियां प्रकाशित करती हैं। यद्यपि एनडीए/नौसेना अकादमी पाठ्यक्रमों के लिए पुरुषों और महिलाओं की श्रेणियों के लिए रिक्तियां एक ही अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित की जा रही हैं और प्रशासनिक उद्देश्य के लिए एक समान लिखित परीक्षा के माध्यम से परीक्षण किया जा रहा है तथापि, एनडीए/नौसेना अकादमी में पुरुष और महिला की प्रविष्टियाँ अलग-अलग हैं और **अधिसूचित** रिक्तियों के अनुसार इन दोनों श्रेणियों के लिए चयन केवल लिंग के आधार पर पृथक-पृथक रूप से किए जाते हैं। **राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एवं नौसेना अकादमी में पुरुष और महिला श्रेणियों के लिए लिखित परिणाम और अंतिम मेरिट सूची भी इन श्रेणियों की अधिसूचित रिक्तियों के अनुसार अलग से तैयार की जाएंगी।**

यह रिक्तियां अनंतिम हैं तथा राष्ट्रीय रक्षा अकादमी तथा भारतीय नौ सेना अकादमी पाठ्यक्रम की प्रशिक्षण क्षमतानुसार इनमें परिवर्तन किया जा सकता है।

विशेष ध्यान: (i) उम्मीदवारों को अपने परीक्षा विशिष्ट मॉड्यूल में अपने वरीयता क्रम के अनुसार (1 से 4) सेवाओं का स्पष्ट उल्लेख करना चाहिए। उसे यह भी सलाह दी जाती है कि वह जितनी चाहे उतनी वरीयताओं का उल्लेख करें, ताकि नियुक्ति करते समय योग्यता क्रम में उनके रैंक को ध्यान में रखते हुए, उनकी वरीयताओं पर भली-भांति विचार किया जा सके।

(ii) उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि केवल उन्हीं सेवाओं पर उनकी नियुक्ति हेतु विचार किया जाएगा जिनके लिए वे अपनी वरीयता व्यक्त करते हैं, अन्य सेवा (सेवाओं) पर नहीं। किसी भी उम्मीदवार द्वारा अपने आवेदन प्रपत्र में पहले से निर्दिष्ट वरीयताओं में कुछ जोड़ने/परिवर्तन करने के बारे में कोई अनुरोध आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त आवेदन प्रक्रिया के दौरान प्रस्तुत सूचना की बार-बार पुष्टि किए जाने के मद्देनजर आयोग ने इस परीक्षा के लिए आवेदन प्रपत्र भरने और आवेदन विंडो बंद होने के बाद आवेदन प्रपत्र के किसी भाग (भागों) में सुधार करने की सुविधा न देने का निर्णय लिया है। सेवा आबंटन पर विचार किए जाने हेतु उम्मीदवार द्वारा कम से कम एक वरीयता का चयन करना अनिवार्य है।

(iii) आयोग द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा तथा उसके बाद लिखित परीक्षा में योग्यता प्राप्त उम्मीदवारों के लिए सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित बौद्धिक परीक्षा और व्यक्तित्व परीक्षण के परिणाम के आधार पर उपर्युक्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिया जाएगा।

2. परीक्षा केन्द्र:

परीक्षा निम्नलिखित केन्द्रों पर आयोजित की जाएगी :

1.	अगरतला	30.	गोरखपुर	59.	नासिक
2.	आगरा	31.	गुरुग्राम	60.	नवी मुंबई
3.	अहमदाबाद	32.	ग्वालियर	61.	पणजी(गोवा)
4.	आइजोल	33.	हिसार	62.	पटना
5.	अजमेर	34.	हैदराबाद	63.	श्री विजया पुरम (पोर्ट ब्लेयर)
6.	अलीगढ़	35.	इंफाल	64.	प्रयागराज (इलाहाबाद)
7.	अल्मोड़ा (उत्तराखंड)	36.	इंदौर	65.	पुडुचेरी
8.	अलवर	37.	ईटानगर	66.	पुणे
9.	अनंतपुरमु (आंध्र प्रदेश)	38.	जबलपुर	67.	रायपुर
10.	छत्रपति संभाजीनगर [औरंगाबाद (महाराष्ट्र)]	39.	जयपुर	68.	राजकोट
11.	बरेली	40.	जम्मू	69.	रांची

12.	बेंगलुरु	41.	जोधपुर	70.	संबलपुर
13.	भोपाल	42.	जोरहाट	71.	शिलांग
14.	भुवनेश्वर	43.	कन्नूर (केरल)	72.	शिमला
15.	बिलासपुर (छत्तीसगढ़)	44.	कानपुर	73.	सिलिगुडी
16.	चंडीगढ़	45.	कारगिल	74.	श्रीनगर
17.	चेन्नई	46.	कोच्चि	75.	श्रीनगर (उत्तराखंड)
18.	कोयंबटूर	47.	कोहिमा	76.	सूरत
19.	कटक	48.	कोलकाता	77.	ठाणे
20.	देहरादून	49.	कोझीकोड (कालीकट)	78.	तिरूवनंतपुरम
21.	दिल्ली	50.	लेह	79.	तिरूचिरापल्ली
22.	धर्मशाला	51.	लखनऊ	80.	तिरूपति
23.	धारवाड़	52.	लुधियाना	81.	उदयपुर
24.	दिसपुर	53.	मदुरै	82.	वाराणसी
25.	फरीदाबाद	54.	मंडी (हिमाचल प्रदेश)	83.	वेल्लोर
26.	गंगटोक	55.	मेरठ	84.	विजयवाड़ा
27.	गौतम बुद्ध नगर	56.	मुंबई	85.	विशाखापटनम
28.	गया	57.	मैसूरु	86.	हनुमाकोंडा (वारंगल अर्बन)
29.	गाजियाबाद	58.	नागपुर		

आवेदक यह नोट करें कि चेन्नई, दिसपुर, कोलकाता और नागपुर केन्द्रों के सिवाय प्रत्येक केन्द्र पर आवंटित उम्मीदवारों की संख्या की अधिकतम सीमा निर्धारित होगी। केन्द्रों का आवंटन "पहले आवेदन करो पहले आवंटन पाओ" पर आधारित होगा तथा यदि किसी एक केन्द्र की क्षमता पूरी हो जाती है तब वहां किसी आवेदक को कोई केन्द्र आवंटित नहीं किया जाएगा। जिन आवेदकों को निर्धारित अधिकतम सीमा की वजह से अपनी पसंद का केन्द्र नहीं मिलता है उन्हें शेष केन्द्रों में से एक केन्द्र का चयन करना होगा। इसलिए आवेदकों को यह सलाह दी जाती है कि वे शीघ्र आवेदन करें जिससे उन्हें अपनी पसंद का केन्द्र मिले। यदि कोई उम्मीदवार अपने ई-प्रवेश पत्र में आयोग द्वारा उल्लिखित परीक्षा स्थल के अलावा किसी अन्य परीक्षा स्थल पर उपस्थित होता है, तो ऐसे उम्मीदवार को परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

ध्यान दें: उपर्युक्त प्रावधान के बावजूद स्थिति के अनुसार आयोग को अपने विवेकानुसार केन्द्रों में परिवर्तन करने का अधिकार है।

जिन उम्मीदवारों को इस परीक्षा में प्रवेश दे दिया जाता है उन्हें समय-सारणी तथा परीक्षा स्थल (स्थलों) की जानकारी दे दी जाएगी। उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि परीक्षा केन्द्र में परिवर्तन से सम्बद्ध अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

3. पात्रता की शर्तें:

(क) राष्ट्रीयता: उम्मीदवार अविवाहित पुरुष/महिला हो और:

(i) भारत का नागरिक हो, या

(ii) नेपाल की प्रजा हो, या

(iii) भारतीय मूल का व्यक्ति जो भारत में स्थायी रूप से रहने के उद्देश्य से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देशों जैसे कीनिया, उगाण्डा तथा तंजानिया, संयुक्त गणराज्य, जांबिया, मलावी, जायरे तथा इथियोपिया या वियतनाम से प्रव्रजन कर के आया हो।

बशर्ते उपर्युक्त वर्ग (ii)और (iii) के अंतर्गत आने वाला उम्मीदवार ऐसा व्यक्ति हो जिसको भारत सरकार ने पात्रता प्रमाणपत्र प्रदान किया हो,

हालांकि नेपाल के गोरखा उम्मीदवारों के लिए यह पात्रता प्रमाणपत्र आवश्यक नहीं होगा।

(ख) आयु-सीमाएं, लिंग और वैवाहिक स्थिति:

केवल ऐसे अविवाहित पुरुष/महिला उम्मीदवार पात्र हैं जिनका जन्म **01 जनवरी, 2008** से पहले तथा **01 जनवरी, 2011** के बाद न हुआ हो।

आयोग जन्म की वह तारीख स्वीकार करता है जो मैट्रिकुलेशन या माध्यमिक विद्यालय छोड़ने के प्रमाणपत्र या किसी भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा मैट्रिकुलेशन के समकक्ष माने गए प्रमाणपत्र या किसी विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित मैट्रिकुलेटों के रजिस्टर में दर्ज उद्धरण जो विश्वविद्यालय के समुचित प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित हो या माध्यमिक विद्यालय परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाणपत्रों में दर्ज हो। आयु के संबंध में कोई अन्य दस्तावेज जैसे जन्म कुण्डली, शपथ-पत्र, नगर निगम और सेवा अभिलेख से प्राप्त जन्म संबंधी उद्धरण तथा अन्य ऐसे प्रमाणपत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अनुदेशों के इस भाग में आए हुए 'मैट्रिकुलेशन/ माध्यमिक परीक्षा प्रमाणपत्र वाक्यांश के अंतर्गत उपर्युक्त वैकल्पिक प्रमाणपत्र सम्मिलित हैं।

टिप्पणी-1: उम्मीदवार यह ध्यान रखें कि आयोग उम्मीदवार के जन्म की उसी तारीख को स्वीकार करेगा जो कि आवेदन-प्रपत्र प्रस्तुत करने की तारीख को मैट्रिकुलेशन/माध्यमिक परीक्षा प्रमाणपत्र या समकक्ष प्रमाणपत्र में दर्ज है और इसके बाद उसमें परिवर्तन के किसी अनुरोध पर न तो विचार किया जाएगा और न उसे स्वीकार किया जाएगा।

टिप्पणी-2: उम्मीदवार यह भी नोट कर लें कि उनके द्वारा किसी परीक्षा में प्रवेश के लिए, जन्म की तारीख ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र में प्रस्तुत करने के बाद और आयोग द्वारा उसे अपने अभिलेख में दर्ज कर लेने के बाद या बाद की किसी अन्य परीक्षा में उसमें परिवर्तन करने की अनुमति किसी भी आधार पर नहीं दी जाएगी।

टिप्पणी-3: उम्मीदवारों को यूनिवर्सल पंजीकरण संख्या (यूआरएन) विवरण के संबंधित कालम में जन्म तिथि भरते समय उचित सावधानी बरतनी चाहिए। यदि बाद में किसी स्तर पर, जांच के दौरान उनके द्वारा भरी गई जन्मतिथि और उनके मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा के प्रमाणपत्र में दी गई जन्मतिथि में कोई भिन्नता पाई जाती है तो नियमावली के अधीन आयोग द्वारा उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

टिप्पणी 4: उम्मीदवार यह भी नोट कर लें कि एक बार जमा कर दिए जाने पर किसी भी परिस्थिति में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एवं नौसेना अकादमी परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र में कुछ भी जोड़ने/हटाने/परिवर्तन करने की अनुमति नहीं है। **तथापि, आयोग उम्मीदवारों को अपने यूनिवर्सल पंजीकरण संख्या (यूआरएन) विवरण को एक बार अद्यतन या संशोधित करने की सुविधा प्रदान करता है। कृपया ध्यान दें कि यूआरएन विवरण में किए गए बदलाव, पहले से जमा हो चुके आवेदनों में दिखाई नहीं देंगे। अद्यतन सूचना केवल उन आवेदनों पर लागू होगी जो उम्मीदवार द्वारा आवश्यक बदलाव करने और यूआरएन विवरण को सफलतापूर्वक पुनः लॉक करने के बाद जमा किए गए हैं।**

टिप्पणी-5: उम्मीदवारों को इस बात का परिवचन देना है कि जब तक उनका समग्र प्रशिक्षण पूरा नहीं हो जाता, तब तक वे विवाह नहीं करेंगे। जो उम्मीदवार अपने आवेदन की तारीख के बाद विवाह कर लेता/लेती है उसको प्रशिक्षण के लिए चुना नहीं जाएगा चाहे वह उस परीक्षा में या अगली किसी परीक्षा में सफल हो। जो उम्मीदवार प्रशिक्षण काल में विवाह कर लेगा/लेगी उसे वापस भेजा जाएगा और सरकार द्वारा उस पर किए गए व्यय की समस्त राशि उसे वापस लौटानी होगी।

(ग) शैक्षिक योग्यताएं:

(i) राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के थल सेना स्कंध के लिए: किसी राज्य शिक्षा बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित स्कूली शिक्षा प्रणाली 10+2 पैटर्न में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा समकक्ष।

(ii) राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के वायु सेना और नौ सेना स्कंधों तथा भारतीय नौ सेना अकादमी की 10+2 कैडेट एंट्री स्कीम के लिए:— किसी राज्य शिक्षा बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित स्कूल शिक्षा के 10+2 पैटर्न में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और गणित के साथ 12वीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा समकक्ष परीक्षा.

जो उम्मीदवार स्कूली शिक्षा प्रणाली के 10+2 पैटर्न के अधीन 12वीं कक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा में बैठ रहे हैं, वे भी आवेदन कर सकते हैं।

ऐसे उम्मीदवार जो एसएसबी साक्षात्कार में अर्हता प्राप्त कर लेते हैं लेकिन एसएसबी साक्षात्कार के समय मैट्रिक/10 + 2 या समकक्ष प्रमाणपत्र मूल रूप से प्रस्तुत नहीं कर पाते, उन्हें विधिवत अनुप्रमाणित

फोटोप्रतियां"भर्ती महानिदेशालय, सेना मुख्यालय, वैस्ट ब्लॉक-III, आर. के. पुरम, नई दिल्ली-110066 को तथा नौ सेना अकादमी के उम्मीदवारों के मामले में "नौसेना मुख्यालय, डीएमपीआर, ओआई एण्ड आर अनुभाग, कमरा सं. 204, 'सी' स्कंध, सेना भवन, नई दिल्ली-110011" को **10 जून, 2027** तक भेजनी होंगी। ऐसा न करने पर उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। अन्य सभी उम्मीदवार जो मूल रूप में अपने मैट्रिक और 10 + 2 पास या समकक्ष प्रमाणपत्र एसएसबी साक्षात्कार के समय प्रस्तुत कर चुके हैं तथा एसएसबी प्राधिकारियों द्वारा उनका सत्यापन करवा चुके हैं उन्हें सेना मुख्यालय या नौसेना मुख्यालय,जैसा भी मामला हो,में इन्हें फिर से प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं है। ऐसे मामलों में जहां बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा अभी तक प्रमाणपत्र जारी नहीं किए गए हों, शिक्षा संस्थाओं के प्रधानाचार्य द्वारा दिये गये मूल प्रमाणपत्र भी स्वीकार्य होंगे। ऐसे प्रमाणपत्रों की प्रमाणित सत्य प्रतिलिपियां/फोटोस्टेट प्रतियां स्वीकार नहीं की जायेंगी।

अपवाद परिस्थितियों में आयोग किसी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम में निर्धारित योग्यताओं से युक्त न होने पर भी शैक्षिक रूप से योग्य मान सकता है बशर्ते कि उनके पास ऐसी योग्यताएं हों, आयोग के विचार से जिनका स्तर, उसे इस परीक्षा में प्रवेश देना उचित ठहराता हो।

टिप्पणी-1: वे उम्मीदवार जो 11वीं कक्षा की परीक्षा दे रहे हैं, इस परीक्षा में बैठने के पात्र नहीं हैं।

टिप्पणी-2: वे उम्मीदवार, जिन्हें 12वीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा में अभी अर्हता प्राप्त करनी है और जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग ने परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी है, नोट कर लें कि यह उनको दी गई विशेष छूट मात्र है। उन्हें 12वीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण निर्धारित तारीख (**अर्थात् 10 जून, 2027**) तक प्रस्तुत करना है और बोर्ड/ विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा के देर से आयोजित किये जाने,परिणाम घोषणा में विलंब या अन्य किसी कारण से इस तारीख को और आगे बढ़ाने से संबद्ध किसी भी अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जायेगा।

टिप्पणी-3: जो उम्मीदवार रक्षा मंत्रालय द्वारा रक्षा सेवाओं में किसी प्रकार के कमीशन से विवर्जित हैं, वे इस परीक्षा में प्रवेश के पात्र नहीं होंगे। उन्हें अगर प्रवेश दे दिया गया तो भी उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

टिप्पणी-4: जो उम्मीदवार सीपीएसएस/पीएबीटी(कंप्युटरीकृत पायलट चयन प्रणाली/पायलट एप्टीट्यूड बैटरीटेस्ट) में पहले असफल हो चुके हैं, वे वायु सेना में ग्राउंड ड्यूटी शाखाओं के लिए पात्र होंगे यदि वे इस संबंध में आयोग की वेबसाइट तथा चयन किए गए केंद्रों पर उपलब्ध परीक्षा विशिष्ट प्रपत्र में अपनी इच्छा (Willingness) दर्ज करते हैं।

(घ) शारीरिक मानकः

उम्मीदवार को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी तथा नौसेना अकादमी परीक्षा (II), 2026 हेतु परिशिष्ट-III में दिए गए शारीरिक मानकों संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुरूप शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए।

(ड.) वे उम्मीदवार जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है या जिन्हें सशस्त्र बल के किसी प्रशिक्षण संस्थान से अनुशासनात्मक कार्रवाई के तहत निकाल दिया गया हो, वे आवेदन करने हेतु पात्र नहीं हैं।

4. शुल्क:

उम्मीदवारों (नीचे टिप्पणी 2 में उल्लिखित अ.जा./अ.ज.जा. उम्मीदवारों/ महिला उम्मीदवारों / जे.सी.ओ./ एन.सी.ओ./ओ.आर. के बच्चों को छोड़कर जिन्हें किसी शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा) को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी तथा नौसेना अकादमी परीक्षा-II, 2026 में उपस्थित होने के लिए 100/- रु.(मात्र एक सौ रुपए) का किसी बैंक की नेट बैंकिंग सुविधा का प्रयोग करते हुए या वीजा/मास्टरकार्ड/रूपे क्रेडिट/डेबिट कार्ड/यूपीआई भुगतान द्वारा भुगतान करना होगा।

ध्यान दें-1: उम्मीदवार नोट कर लें कि शुल्क का भुगतान ऊपर निर्धारित माध्यमों से ही किया जा सकता है। किसी अन्य माध्यम से शुल्क का भुगतान न तो वैध है और न स्वीकार्य है। निर्धारित माध्यम/शुल्क के बिना प्रस्तुत आवेदन (जब तक शुल्क की माफी का दावा न किया गया हो) तुरंत अस्वीकृत कर दिए जाएंगे।

ध्यान दें-2: एक बार शुल्क अदा किए जाने पर वापस करने के किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जा सकता है और न ही किसी दूसरी परीक्षा या चयन के लिए उसे आरक्षित रखा जा सकता है।

टिप्पणी-1: अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और टिप्पणी-2 में उल्लिखित उम्मीदवारों को शुल्क नहीं देना होगा। तथापि अन्य पिछड़े वर्गों/आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के उम्मीदवारों को शुल्क में कोई छूट नहीं है तथा उन्हें निर्धारित शुल्क का पूरा भुगतान करना होगा।

टिप्पणी-2: थल सेना में सेवारत/भूतपूर्व जूनियर कमीशन प्राप्त अधिकारियों/गैर कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अन्य रैंकों तथा भारतीय नौसेना/ भारतीय वायु सेना के समकक्ष रैंकों के अधिकारियों के बच्चों को निर्धारित शुल्क देना अपेक्षित नहीं हैं यदि वे मिलिट्री स्कूल (जिन्हें पहले किंग जार्ज स्कूल के नाम से जाना जाता था)/सैनिक स्कूलों की सोसायटी द्वारा चलाए जाने वाले सैनिक स्कूलों में शिक्षा पा रहे हैं।

(विशेष ध्यान दें: ऐसे सभी उम्मीदवारों को संबंधित प्रिंसिपल से शुल्क में छूट हेतु पात्रता का प्रमाणपत्र प्राप्त करना होगा और एस.एस.बी. परीक्षण/साक्षात्कार के लिए अर्हक घोषित किए गए उम्मीदवारों द्वारा एस. एस. बी. परीक्षण/साक्षात्कार के समय सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना होगा)।

5. आवेदन कैसे करें:

(क) उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट https://upsconline.nic.in का प्रयोग करके ऑनलाइन आवेदन करें। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन प्रपत्र भरने से पहले सामान्य अनुदेशों, प्रोफाइल/मॉड्यूल-वार अनुदेशों तथा दस्तावेज अपलोड करने संबंधी अनुदेशों को ध्यान से पढ़ लें। यह अनुदेश मुख्य पृष्ठ के मेन्यू बार में उपलब्ध हैं। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और नौसेना अकादमी परीक्षा के लिए आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवारों को यूनिवर्सल पंजीकरण संख्या (यूआरएन), समान आवेदन प्रपत्र

(सीएएफ़) और चौथे मॉड्यूल अर्थात परीक्षा विशिष्ट मॉड्यूल (शुल्क और केंद्र इत्यादि सहित) के साथ जन्म तिथि, शैक्षिक योग्यता आदि विभिन्न दावों के संबंध में आयोग द्वारा अपेक्षित जानकारी तथा सहयोगी दस्तावेज जमा करने होंगे। समान आवेदन प्रपत्र (सीएएफ़) के साथ अपेक्षित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर परीक्षा के लिए उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी।

टिप्पणी 1: <u>यूआरएन विवरण के लिए एकबारगी संशोधन सुविधा:</u>

आयोग उम्मीदवारों को अपने यूनिवर्सल पंजीकरण संख्या (यूआरएन) विवरण को एक बार अद्यतन या संशोधित करने की सुविधा प्रदान करता है। कृपया ध्यान दें कि यूआरएन विवरण में किए गए बदलाव, पहले से जमा हो चुके आवेदनों में दिखाई नहीं देंगे। अद्यतन सूचना केवल उन आवेदनों पर लागू होगी जो उम्मीदवार द्वारा आवश्यक बदलाव करने और यूआरएन विवरण को सफलतापूर्वक पुनः लॉक करने के बाद जमा किए गए हैं।

टिप्पणी 2: <u>समान आवेदन प्रपत्र भरने के लिए लाइव-फोटो कैप्चर:</u>

समान आवेदन प्रपत्र (सीएएफ) भरते समय आवेदक को अपना फोटोग्राफ अपलोड करना होगा तथा अपनी लाइव फोटोग्राफ भी कैप्चर करनी होगी। आवेदक यह सुनिश्चित् करें कि अपलोड की गई फोटो तथा कैप्चर की गई लाइव फोटोग्राफ आयोग की वेबसाइट **https://upsconline.nic.in** में उपलब्ध "अनुदेश तथा प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न > प्रपत्र भरने हेतु अनुदेश > फोटो तथा हस्ताक्षर" में दिए गए अनुदेशों के अनुसार स्पष्ट हो।

टिप्पणी 3: <u>हस्ताक्षर अपलोड करना:</u>

आवेदकों को सादे सफेद कागज पर काली स्याही के पेन से तीन बार (एक के नीचे एक) हस्ताक्षर करने होंगे और समान आवेदन प्रपत्र (सीएएफ) भरते समय उसे अपलोड करना होगा। अपलोड किए गए हस्ताक्षर स्पष्ट और सुपाठ्य होने चाहिए। उम्मीदवारों को आयोग की वेबसाइट https://upsconline.nic.in पर "अनुदेश और प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न" के अंतर्गत उपलब्ध हस्ताक्षर अपलोड करने संबंधी अनुदेश देखने की सलाह दी जाती है।"

टिप्पणी 4: <u>फोटोग्राफ अपलोड करना:</u>

कृपया ऑनलाइन आवेदन पोर्टल के मुख्य पृष्ठ पर दस्तावेज़ अपलोड करने के अनुदेशों में प्रदान किए गए विवरण के अनुसार फोटोग्राफ अपलोड करने संबंधी अनुदेशों का अनुपालन करें।

टिप्पणी 5: <u>आवेदन वापस लेना:</u>

उम्मीदवार को आवेदन जमा करने के बाद अपने आवेदन वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा, आवेदन जमा करने के बाद किसी भी क्षेत्र (क्षेत्रों) में कोई सुधार/परिवर्तन/संशोधन की अनुमति नहीं है।

टिप्पणी- 6: उम्मीदवारों द्वारा यथोचित तत्परता और सावधानी पूर्वक भरे जाने वाले विवरण में संशोधन करने के संबध में किसी प्रकार की पूछताछ, अभ्यावेदन आदि पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा क्योंकि परीक्षा प्रक्रिया को समय से पूरा किया जाना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है।

टिप्पणी-7: उम्मीदवारों के पास किसी एक फोटो पहचान-पत्र अर्थात् आधार कार्ड/मतदाता कार्ड(ईपीआईसी)/पैन कार्ड/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस/स्कूल पहचान-पत्र/ राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा जारी कोई अन्य फोटो पहचान-पत्र कार्ड का विवरण होना चाहिए। उम्मीदवार को यूनिवर्सल पंजीकरण संख्या (यूआरएन) विवरण भरते समय इस फोटो आईडी का विवरण प्रदान करना होगा। इस फोटो आईडी का इस्तेमाल भविष्य में सभी संदर्भों के लिए किया जाएगा और उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा/एसएसबी में शामिल होते समय इस आईडी को अपने साथ रखें।

आईडी तथा अन्य विवरणों के आसान, सरल और निर्बाध सत्यापन तथा अधिप्रमाणन के लिए आईडी दस्तावेज के रूप में आवेदकों को अपने आधार कार्ड का ही इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है।

टिप्पणी- 8 : सभी उम्मीदवारों चाहे वे पहले ही सरकारी सेवा में हों, जिनमें सशस्त्र बल के उम्मीदवार भी शामिल हैं और भारतीय नौसेना के नौसैनिक (लड़कों एवं परिशिल्पी शिक्षार्थियों सहित), राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज (जिसे पहले सैनिक स्कूल, देहरादून कहा जाता था) के सैन्य प्रशिक्षु, राष्ट्रीय सैनिक स्कूलों (जिन्हें पहले मिलिट्री स्कूल कहा जाता था) और सैनिक स्कूलों की सोसायटी द्वारा चलाए जाने वाले सैनिक स्कूलों के छात्रों, सरकारी स्वामित्व वाले औद्योगिक उपक्रम अथवा इसी प्रकार के अन्य संगठनों अथवा निजी रोजगार में कार्यरत उम्मीदवारों को आयोग को सीधे ऑनलाईन आवेदन करना होगा।

(क) जो व्यक्ति पहले से ही स्थायी या अस्थायी हैसियत से सरकारी सेवा में हों या आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त व्यक्तियों को छोड़कर कार्य प्रभारित कर्मचारी या जो लोक उद्यमों में सेवारत हैं, (ख) सशस्त्र बलों में कार्यरत उम्मीदवार भारतीय नौसेना के नौसैनिक (लड़कों एवं परिशिल्पी शिक्षार्थियों सहित), और (ग) राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज (जिसे पहले सैनिक स्कूल, देहरादून कहा जाता था) के सैन्य प्रशिक्षु, सैनिक स्कूलों (जिन्हें पहले किंग जार्ज स्कूल कहा जाता था) और सैनिक स्कूलों की सोसायटी द्वारा चलाए जाने वाले सैनिक स्कूलों के छात्रों को अपने कार्यालय/विभाग अध्यक्ष, कमांडिंग अधिकारी, संबद्ध कालेज/स्कूल के प्राचार्य, जैसा भी मामला हो, को लिखित रूप में सूचित करना होगा कि उन्होंने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है। उम्मीदवार नोट करें कि यदि आयोग को उनके नियोक्ता/संबद्ध प्राधिकारी से इस परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले/बैठने वाले उम्मीदवारों की अनुमति रोकने संबंधी कोई पत्राचार प्राप्त होता है तो उनके आवेदन पत्र अस्वीकृत किए जा सकते हैं/उम्मीदवारी निरस्त की जा सकती है।

टिप्पणी- 9 : उम्मीदवार को अपना परीक्षा विशिष्ट मॉड्यूल भरते समय परीक्षा के लिए केन्द्र का चयन सावधानीपूर्वक करना चाहिए।

यदि कोई उम्मीदवार आयोग द्वारा प्रेषित ई-प्रवेश पत्र में दर्शाये गये केन्द्र से इतर केन्द्र में बैठता है तो उस उम्मीदवार के प्रश्नपत्रों का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा तथा उसकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।

टिप्पणी- 10 : जिन आवेदन प्रपत्रों के साथ निर्धारित शुल्क संलग्न नहीं होगा (उपर्युक्त पैरा 4 के अंतर्गत शुल्क माफी के दावे को छोड़कर) या जो अधूरे भरे हुए हों, उनको तुरंत अस्वीकृत कर दिया जायेगा और किसी भी स्थिति में अस्वीकृति के संबंध में अभ्यावेदन या पत्र-व्यवहार स्वीकार नहीं किया जायेगा। उम्मीदवारों को अपने आवेदन के साथ फोटो पहचान-पत्र के अतिरिक्त आयु,शैक्षणिक योग्यताओं, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग तथा परीक्षा शुल्क से छूट से संबंधित अपने किसी दावे के समर्थन में कोई भी प्रमाण पत्र संलग्न करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए वे इस बात को सुनिश्चित कर लें कि वे परीक्षा में प्रवेश के लिए पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करते हैं या नहीं। अतः परीक्षा में उनका प्रवेश भी पूर्णतः अनन्तिम होगा। यदि बाद में सत्यापन करते समय यह पता चलता है कि वे पात्रता की सभी शर्तें पूरी नहीं करते हैं तो उनकी उम्मीदवारी रद्द हो जाएगी। परीक्षा के लिखित भाग के परिणाम **अक्टूबर, 2026** में घोषित होने की संभावना है। लिखित परीक्षा में सफलतापूर्वक अर्हक हुए सभी उम्मीदवारों को उसी ई-मेल आईडी जो आईडी संघ लोक सेवा आयोग का ऑनलाइन आवेदन भरते समय संघ लोक सेवा आयोग को प्रदान की गई है, का प्रयोग करते हुए भर्ती महानिदेशालय की वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर स्वयं को ऑनलाइन पंजीकृत करना होगा। उम्मीदवार यह सुनिश्चित करें कि उनके ऑनलाइन आवेदन में दी गई उनकी ई-मेल आई डी वैध और सक्रिय हो। इसके बाद इन उम्मीदवारों को पूर्वोक्त वेबसाइट के माध्यम से चयन केन्द्रों का आबंटन किया जाएगा। किसी समस्या/स्पष्टीकरण के मामले में उम्मीदवार, भर्ती महानिदेशालय की वेबसाइट पर प्रदान किए गए टेलीफोन नंबरों पर या अपने प्रोफाइल पर लॉग-इन करके फीडबैक/क्वेरी मॉड्यूल के जरिए महानिदेशक भर्ती से संपर्क कर सकते हैं।

टिप्पणी- 11: जिन उम्मीदवारों ने लिखित परीक्षण में अर्हता प्राप्त कर ली है, उन्हें आयु और शैक्षिक योग्यता संबंधी अपने मूल प्रमाणपत्र भर्ती महानिदेशालय, सेना मुख्यालय, वेस्ट ब्लाक-।।।, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066 अथवा नौसेना मुख्यालय, डीएमपीआर, ओआईएंडआर अनुभाग, 'सी' विंग, सेना भवन, नई दिल्ली-110011 को प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

एसएसबी के साक्षात्कार के लिये बुलाये गये सभी उम्मीदवारों को सेवा चयन बोर्ड (एसएसबी) के समक्ष मैट्रिक परीक्षा का मूल प्रमाणपत्र अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने होंगे। जो उम्मीदवार सेवा चयन बोर्ड के साक्षात्कार में अर्हता प्राप्त कर लेंगे उन्हें साक्षात्कार के तुरंत बाद मूल प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने होंगे। जांच पड़ताल के बाद मूल प्रमाणपत्र लौटा दिए जाएंगे। जो उम्मीदवार पहले ही 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं वे सेवा चयन बोर्ड के साक्षात्कार हेतु अपना 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण करने का मूल प्रमाणपत्र या अंक सूची अवश्य लाएं।

(1) यदि उनका कोई भी दावा असत्य पाया जाता है तो उनके विरुद्ध आयोग द्वारा निम्नलिखित उपबंधों के अनुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है:

जो उम्मीदवार निम्नांकित कदाचार का दोषी है या आयोग द्वारा दोषी घोषित हो चुका है:-

क) निम्नलिखित तरीकों से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया है, अर्थात्:

(i) गैरकानूनी रूप से परितोषण की पेशकश करना, या

(ii) दबाव डालना, या

(iii) परीक्षा आयोजित करने से संबंधित किसी व्यक्ति को ब्लैकमेल करना अथवा उसे ब्लैकमेल करने की धमकी देना, अथवा

(ख) प्रतिरूपधारण, अथवा

(ग) किसी अन्य व्यक्ति से छद्म रूप से कार्यसाधन कराया है, अथवा

(घ) जाली प्रमाणपत्र या ऐसे प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए हैं जिसमें तथ्यों से छेड-छाड की गई हो, अथवा

(ङ) आवेदन फॉर्म में वास्तविक फोटो/हस्ताक्षर के स्थान पर असंगत फोटो/हस्ताक्षर अपलोड करना, अथवा

(च) गलत या झूठे वक्तव्य दिए हैं या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है, अथवा

(छ) परीक्षा के लिए अपनी उम्मीदवारी के संबंध में निम्नलिखित साधनों का उपयोग किया है, अर्थात्:

(i) अनुचित तरीके से प्रश्न-पत्र की प्रति प्राप्त करना; अथवा

(ii) परीक्षा से संबंधित गोपनीय कार्य से जुड़े व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करना; अथवा

(iii) परीक्षकों को प्रभावित करना; अथवा

(ज) परीक्षा के दौरान उम्मीदवार के पास अनुचित साधनों का पाया जाना अथवा अपनाया जाना; अथवा

(झ) उत्तर पुस्तिकाओं पर असंगत बातें लिखना या भद्दे रेखाचित्र बनाना अथवा असंगत बातें लिखना; अथवा

(ञ) परीक्षा भवन में दुर्व्यवहार करना जिसमें उत्तर पुस्तिकाओं को फाड़ना, परीक्षा देने वालों को परीक्षा का बहिष्कार करने के लिए उकसाना अथवा अव्यवस्था तथा ऐसी ही अन्य स्थिति पैदा करना शामिल है; अथवा

(ट) परीक्षा संचालन के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान किया हो या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुंचाई हो; अथवा

(ठ) परीक्षा के दौरान मोबाइल फोन (चाहे वह स्विच ऑफ हो), पेजर या किसी अन्य प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या प्रोग्राम किए जा सकने वाला डिवाइस या पेन ड्राइव जैसा कोई स्टोरेज मीडिया, स्मार्ट वॉच इत्यादि या कैमरा या ब्लूटूथ डिवाइस या कोई अन्य उपकरण या संचार यंत्र के रूप में प्रयोग किए जा सकने वाला कोई अन्य संबंधित उपकरण (चाहे बंद या चालू) प्रयोग करते हुए या आपके पास पाया गया हो; अथवा

(ड) परीक्षा की अनुमति देते हुए उम्मीदवार को भेजे गए ई-प्रवेश पत्र के साथ जारी आदेशों का उल्लंघन किया है; अथवा

(ढ) उपर्युक्त खंडों में निर्दिष्ट सभी अथवा किसी कार्य जैसा भी मामला हो, को करने या करने के लिए उकसाने का प्रयत्न किया हो;

तो उस समय पर समय-समय पर संशोधित लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) अधिनियम, 2024 के अंतर्गत आपराधिक अभियोजन/उचित विधिक कार्रवाई किए जाने के अतिरिक्त, उम्मीदवार को इस नियमावली के अंतर्गत आयोजित परीक्षा के अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और/या स्थायी रूप से या किसी विशिष्ट अवधि के लिए विवर्जित किया जाएगा:-

(i) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन;

(ii) केन्द्रीय सरकार द्वारा उसके अधीन किसी भी नौकरी से वर्जित कर दिया जाएगा;

और यदि वह सरकार के अधीन पहले से ही सेवा में है तो उसके विरुद्ध उपर्युक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकती है,: किन्तु यह कि इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक:

(i) उम्मीदवार को इस संबंध में लिखित रूप में ऐसा अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अवसर न दिया जाए जैसा वह प्रस्तुत करना चाहे; और

(ii) उम्मीदवार द्वारा इस संबंध में निर्धारित अवधि के भीतर प्रस्तुत किए गए अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचार न किया जाए।

2) कोई भी व्यक्ति, जो आयोग या संबंधित सेवा मुख्यालय द्वारा उक्त खंड (क) से (ड) में उल्लिखित कुकृत्यों में से किसी कुकृत्य को करने में किसी अन्य उम्मीदवार के साथ मिलीभगत या सहयोग का दोषी पाया जाता है, उसके विरुद्ध समय-समय पर यथा-संशोधित लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) अधिनियम, 2024 के अंतर्गत उपर्युक्त खंड (ढ) के प्रावधानों के अनुसार यथोचित कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

टिप्पणी: "यदि कोई उम्मीदवार अनुचित साधन रखते या उसका प्रयोग करते हुए पाया जाता है, तो ऐसा कृत्य परीक्षा से जुडे पदाधिकारियों के संज्ञान में आते ही, उसे इस परीक्षा में आगे शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी और आयोग के परामर्श से उम्मीदवार के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त, उम्मीदवार को उक्त परीक्षा के बाद के पेपरों में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी"

6. **आवेदन करने की अंतिम तारीख:**

(i) ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र दिनांक 9 जून, 2026 को शाम 06.00 बजे तक भरे जा सकते हैं, जिसके बाद लिंक निष्क्रिय हो जाएगा।

(ii) उम्मीदवार को आवेदन जमा करने के बाद अपने आवेदन वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

7. यात्रा भत्ता:

किसी विशेष प्रकार के कमीशन अर्थात् स्थायी अथवा अल्पकालिक सेवा के लिए एसएसबी साक्षात्कार हेतु प्रथम बार उपस्थित होने वाले उम्मीदवार भारतीय सीमा के तहत आरक्षण एवं स्लीपर प्रभारों सहित एसी-3 टीयर में आने-जाने के रेल के किराए अथवा बस के किराए हेतु पात्र होंगे। जो उम्मीदवार समान प्रकार के कमीशन के लिए पुनः आवेदन करते हैं, वे बाद में किसी अन्य अवसर पर यात्रा भत्ता हेतु पात्र नहीं होंगे।

8. आयोग/थल सेना/नौ सेना/वायु सेना मुख्यालयों के साथ पत्र-व्यवहारः

निम्नलिखित मामलों के अतिरिक्त आयोग अन्य किसी भी मामले में उम्मीदवार के साथ उनकी उम्मीदवारी के संबंध में पत्र-व्यवहार नहीं करेगा।

(i) पात्र उम्मीदवारों को परीक्षा की तारीख के पिछले सप्ताह के अंतिम कार्य दिवस पर ई-प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा। ई-प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट [https://upsconline.nic.in पर उम्मीदवारों द्वारा डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध होगा। डाक या ई-मेल द्वारा कोई प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा।

(ii) यदि किसी उम्मीदवार को परीक्षा प्रारंभ होने के सात दिन पूर्व तक ई-प्रवेश पत्र अथवा उसकी उम्मीदवारी से संबद्ध कोई सूचना न मिले तो उसे आयोग से तत्काल संपर्क करना चाहिए। इस संबंध में जानकारी आयोग परिसर में स्थित सुविधा काउंटर पर व्यक्तिगत रूप से अथवा सहायता डेस्क **दूरभाष सं. 011-24041001 / 011-40303444** से भी प्राप्त की जा सकती है। यदि उम्मीदवार से ई-प्रवेश पत्र प्राप्त होने के संबंध में कोई भी सूचना परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व तक आयोग कार्यालय में प्राप्त नहीं होती है तो उम्मीदवार ई-प्रवेश पत्र प्राप्त न होने के लिए स्वयं ही जिम्मेदार होगा।

(iii) सामान्यतः किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा में ई-प्रवेश पत्र के बिना बैठने की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। उम्मीदवारों से अनुरोध है कि ई-प्रवेश पत्र डाउनलोड होने पर इसकी सावधानीपूर्वक जांच कर लें तथा किसी प्रकार की त्रुटि/असंगति होने पर आयोग को तुरंत इसकी जानकारी दें।

इस तथ्य कि किसी उम्मीदवार को उक्त परीक्षा के लिए ई-प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है का यह अर्थ नहीं होगा कि आयोग द्वारा उसकी उम्मीदवारी अंतिम रूप से ठीक मान ली गई है या किसी उम्मीदवार द्वारा उसके राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और नौसेना अकादमी परीक्षा के यूनिवर्सल पंजीकरण संख्या (यूआरएन) विवरण, समान आवेदन प्रपत्र (सीएएफ़) और परीक्षा विशिष्ट प्रपत्र में की गई प्रविष्टियों को आयोग द्वारा सही और ठीक मान लिया गया है। उम्मीदवार ध्यान रखें कि एसएसबी/साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण की लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर उम्मीदवार द्वारा अर्हता प्राप्त कर लेने के बाद ही आयोग उसकी पात्रता की शर्तों का मूल दस्तावेजों से सत्यापन का कार्य करता है। आयोग द्वारा औपचारिक रूप से उम्मीदवारी की पुष्टि कर दिये जाने तक उम्मीदवारी अनंतिम रहेगी।

विभिन्न पाठ्यक्रमों की शैक्षिक योग्यता के आधार पर उनकी पात्रता तथा उम्मीदवार द्वारा दिये गये वरीयता क्रम को ध्यान में रखकर किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जाएगा।

उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि परीक्षा में उनका प्रवेश उनके द्वारा आवेदन प्रपत्र में दी गई जानकारी के आधार पर अनंतिम होगा। यह आयोग द्वारा पात्रता की शर्तों के सत्यापन के अध्यधीन होगा।

(iv) यदि उम्मीदवारों को प्रोसेसिंग चूक के कारण किसी अन्य का ई-प्रवेश पत्र प्राप्त होता है, तो सही प्रवेश-पत्र जारी किए जाने के अनुरोध सहित उसे तत्काल आयोग के संज्ञान में लाया जाए। उम्मीदवार यह ध्यान में रखें कि उन्हें किसी अन्य उम्मीदवार के संबंध में जारी **ई-प्रवेश पत्र** पर परीक्षा में प्रवेश की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।

(v) उम्मीदवार के आवेदन प्रपत्र की स्वीकार्यता तथा उक्त परीक्षा में प्रवेश की पात्रता के बारे में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।

(vi) उम्मीदवार ध्यान रखें कि कुछ मामलों में ई-प्रवेश पत्र में नाम तकनीकी कारणों से संक्षिप्त रूप में लिखे जा सकते हैं ।

(vii) उम्मीदवार को यह सुनिश्चित अवश्य कर लेना चाहिए कि ऑनलाइन आवेदन में उनके द्वारा दी गई ई-मेल आईडी मान्य और सक्रिय हो, क्योंकि आयोग परीक्षा प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में उनसे संपर्क करने के लिए संचार के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का उपयोग कर सकता है।

महत्वपूर्ण: आयोग के साथ किए जाने वाले सभी पत्र-व्यवहार ई-मेल आईडी – upscsoap@nic.in पर किए जाने चाहिए और उनमें निम्नलिखित विवरण अवश्य होना चाहिए:

1. नाम, पाठ्यक्रम संख्या और परीक्षा का वर्ष
2. यूनिवर्सल पंजीकरण संख्या
3. आवेदन संख्या
4. अनुक्रमांक (यदि मिला हो)
5. उम्मीदवार का नाम (पूरा और बड़े अक्षरों में)
6. पूर्ण पत्र व्यवहार का पता, जैसा आवेदन प्रपत्र में दिया है।
7. मान्य और सक्रिय पंजीकृत ई-मेल आईडी और पंजीकृत मोबाइल नंबर।

विशेष ध्यान (i): जिन पत्रों में उपर्युक्त ब्यौरा नहीं होगा, संभव है कि उन पर ध्यान न दिया जाए।

विशेष ध्यान (ii): यदि किसी परीक्षा की समाप्ति के बाद किसी उम्मीदवार का पत्र/पत्रादि प्राप्त होता है या जिसमें उसका पूरा नाम और अनुक्रमांक नहीं दिया गया है तो उस पर ध्यान न देते हुए कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात, उम्मीदवारों को अपने एसएसबी केन्द्र और साक्षात्कार की तारीख के लिए निम्नलिखित वेबसाइट पर लॉग-आन करना चाहिए:-

www.joinindianarmy.nic.in

www.joinindiannavy.gov.in

वायु सेना को प्रथम वरीयता देने वाले उम्मीदवारों को भी **एएफएसबी और तारीख चयन के लिए** **www.joinindianarmy.nic.in** पर ऑन-लाइन पंजीकरण करना होगा।

जिन उम्मीदवारों के नाम सेवा चयन बोर्ड के साक्षात्कार हेतु रिपोर्ट करने के लिए अनुशंसित किए गए हैं वे अपने साक्षात्कार के संबंध में सभी पूछताछ और अनुरोध लिखित परीक्षा के परिणाम की घोषणा से 20 दिन के पश्चात् संबंधित सेवा मुख्यालय के निम्नलिखित पते पर भेजें या वेबसाइट को देखें:--

सेना को प्रथम वरीयता देने वाले उम्मीदवारों के लिए सेना मुख्यालय, ए. जी. ब्रांच, आरटीजी (रा.र.अ. प्रविष्टि), पश्चिमी खण्ड-III, स्कंध-I, आर. के. पुरम, नई दिल्ली-110066, दूरभाष सं. **20862673 (एक्स. 201)** या www.joinindianarmy.nic.in

नौसेना/नौसेना अकादमी को प्रथम वरीयता देने वाले उम्मीदवारों के लिए नौ सेना मुख्यालय, जनशक्ति एवं भर्ती निदेशालय, ओ.आई. एण्ड आर. अनुभाग, कमरा नं. 204, 'सी' स्कंध, सेना भवन, नई दिल्ली-110011, दूरभाष सं. 23011282/23010151 या ईमेलः officer@navy.gov.in या www.joinindiannavy.gov.in

वायु सेना को प्रथम वरीयता देने वाले उम्मीदवारों के लिए कार्मिक (अधिकारी) निदेशालय, वायु सेना मुख्यालय (वी बी) कमरा नं. 838, 'ए' ब्लाक रक्षा कार्यालय कॉम्प्लेक्स, कस्तूरबा गाँधी मार्ग, नई दिल्ली-110001, दूरभाष सं. 23010231 एक्सटेंशन 7645/7646/7610

उम्मीदवार को भेजे गए कॉल लेटर द्वारा सूचित तारीख को सेवा चयन बोर्ड के समक्ष साक्षात्कार के लिए पहुंचना है। साक्षात्कार को स्थगित करने से संबद्ध अनुरोध पर केवल अपवादात्मक परिस्थितियों में और प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखकर ही विचार किया जायेगा जिसके लिए निर्णायक प्राधिकरण सेना मुख्यालय होगा। इस प्रकार के अनुरोध उस चयन केन्द्र के प्रशासनिक अधिकारी को संबोधित होने चाहिए जहां से साक्षात्कार हेतु बुलावा-पत्र (काल लेटर) प्राप्त हुआ है। सेना/नौ सेना/वायु सेना मुख्यालय में प्राप्त पत्रों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। लिखित परीक्षा में अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों के सेवा चयन बोर्ड के साक्षात्कार दिसम्बर 2026 से जनवरी 2027 में अथवा भर्ती निदेशालय की सुविधानुसार किए जाएंगे। योग्यताक्रम सूची, कार्यभार ग्रहण अनुदेशों और चयन प्रक्रिया से संबंधित किसी अन्य संगत जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट **www.joinindianarmy.nic.in** का अवलोकन करें।

9. लिखित परीक्षा के परिणाम की घोषणा, अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों का साक्षात्कार, अन्तिम परिणामों की घोषणा और अन्तिम रूप से अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों का प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में प्रवेश:

संघ लोक सेवा आयोग अपने विवेकाधिकार के आधार पर निर्धारित लिखित परीक्षा में न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की एक सूची तैयार करेगा। ये उम्मीदवार बुद्धिमत्ता परीक्षण तथा व्यक्तित्व परीक्षण के लिए सेवा चयन बोर्ड के समक्ष उपस्थित होंगे, जहां राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की थल सेना, नौसेना शाखाओं और भारतीय नौसेना अकादमी की 10+2 कैडेट एंट्री स्कीम के उम्मीदवारों की

अधिकारी क्षमता का मूल्यांकन होगा। वायु सेना के उम्मीदवारों को उपरोक्त के **अतिरिक्त कंप्यूटरीकृत पायलट चयन प्रणाली (सीपीएसएस) में भी अर्हता प्राप्त करनी होगी।**

जिन उम्मीदवारों ने वायु सेना को अपने विकल्प में शामिल किया है, उन्हें एसएसबी में अर्हक होने पर और अपनी इच्छा प्रकट करने पर सीपीएसएस से गुजरना होगा। इस उद्देश्य के लिए चिकित्सा परीक्षण प्रारंभ होने से पहले चयन किए केंद्र पर सीपीएसएस देने की अपनी इच्छा या अनिच्छा प्रकट करते हुए एक परिवचन प्रपत्र प्रस्तुत करना होगा।

यदि किसी मामले में उम्मीदवार सीपीएसएस में अनुत्तीर्ण हो जाता है या नियमित रूप से चश्मा पहनने (एचडब्ल्यूजी) की श्रेणी में होने की वजह से उनका परीक्षण नहीं होता है तो इच्छुक होने पर उसे वायु सेना ग्राउन्ड ड्यूटी के लिए चयनित किया जा सकता है।

10. <u>दो चरणों की चयन प्रक्रिया :</u>

चयन केन्द्रों/वायुसेना चयन बोर्ड/नौसेना चयन बोर्ड में मनोवैज्ञानिक अभिरूचि परीक्षण और बुद्धिमत्ता परीक्षण पर आधारित दो चरणों की चयन-प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। सभी उम्मीदवारों को चयन केन्द्रों/वायु सेना चयन बोर्ड/नौसेना चयन बोर्ड में रिपोर्ट करने पर पहले दिन प्रथम चरण का परीक्षण देना होगा। केवल उन्हीं उम्मीदवारों को द्वितीय चरण/शेष परीक्षणों के लिए प्रवेश दिया जाएगा जिन्होंने पहला चरण उत्तीर्ण कर लिया होगा। वे उम्मीदवार जो चरण-**II** उत्तीर्ण कर लेंगे उन्हें (i) अपनी जन्मतिथि के समर्थन में मैट्रिक उत्तीर्ण करने या समकक्ष प्रमाणपत्र; और (ii) शैक्षिक योग्यता के समर्थन में 10+2 या समकक्ष उत्तीर्ण करने के प्रमाणपत्र की मूल प्रति के साथ-साथ फोटो प्रति भी जमा करनी होंगी।

जो उम्मीदवार सेवा चयन बोर्ड के सामने उपस्थित होकर वहां परीक्षण देंगे वे अपने जोखिम पर इन परीक्षणों में शामिल होंगे और सेवा चयन बोर्ड में उनका जो परीक्षण होता है उसके दौरान या उसके फलस्वरूप अगर उनको किसी व्यक्ति की लापरवाही से या अन्यथा कोई चोट पहुंचती है उसके लिए वे सरकार की ओर से कोई क्षतिपूर्ति या सहायता पाने के हकदार नहीं होंगे। उम्मीदवारों के माता-पिता या अभिभावकों को इस आशय के एक प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे।

स्वीकार्यता हेतु थल सेना/नौ सेना/नौ सेना अकादमी और वायुसेना के लिए उम्मीदवारों को (i) लिखित परीक्षा तथा (ii) अधिकारी क्षमता परीक्षा में अलग-अलग न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करने होंगे, जो क्रमशः आयोग तथा सेवा चयन बोर्ड द्वारा उनके स्वयं के निर्णय के अनुसार निर्धारित किए जाएंगे। वायु सेना के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के अतिरिक्त सेवा चयन बोर्ड में अर्हता प्राप्त सभी उम्मीदवारों को उनकी इच्छा (Willingness), पात्रता और वायु सेना की उड़ान शाखा के लिए वरीयता के अनुसार सीपीएसएस में अलग से अर्हता प्राप्त करनी होगी।

विशेष टिप्पणी : वायु सेना की उड़ान शाखा के लिए प्रत्येक उम्मीदवार कंप्यूटरीकृत पायलट चयन प्रणाली (सीपीएसएस) (पायलट अभिरुचि टेस्ट) में केवल एक बार शामिल हो सकेगा। अत: उसके द्वारा प्रथम परीक्षण में प्राप्त ग्रेड ही उसके द्वारा बाद में दिए जाने वाले वायु सेना चयन बोर्ड के प्रत्येक साक्षात्कार में लागू होंगे। सीपीएसएस में अनुत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवार राष्ट्रीय रक्षा अकादमी परीक्षा की वायु सेना की उड़ान शाखा या जनरल ड्यूटी (पायलट) शाखा या नौसेना वायु आयुध शाखा (नेवल एयर आर्म) में प्रवेश के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं।

जिन उम्मीदवारों का किसी पिछले राष्ट्रीय रक्षा अकादमी पाठ्यक्रम में कंप्यूटरीकृत पायलट चयन प्रणाली (सीपीएसएस) परीक्षण हो चुका हो, उन्हें सीपीएसएस में अर्हक घोषित होने पर ही इस परीक्षा की वायु सेना शाखा के लिए आवेदन करना चाहिए। यदि कोई उम्मीदवार सीपीएसएस में फेल हो गया हो या एचडब्लूजी (नियमित चश्मा पहनने वाला) होने के कारण उसकी सीपीएसएस के लिए परीक्षा न ली गई हो तो उस उम्मीदवार पर भारतीय वायु सेना की ग्रांउड ड्यूटी शाखा, नौ सेना, थल सेना व एनएवीएसी हेतु विचार किया जाएगा।

अलग-अलग उम्मीदवारों को परीक्षा के परिणाम किस रूप में और किस प्रकार सूचित किए जाएं इसका निर्णय आयोग स्वयं करेगा और परिणाम के संबंध में उम्मीदवारों से कोई पत्र-व्यवहार नहीं करेगा।

परीक्षा में सफल होने मात्र से अकादमी में प्रवेश का अधिकार नहीं मिलेगा। उम्मीदवार को नियुक्ति प्राधिकारी को संतुष्ट करना होगा कि वह अकादमी में प्रवेश के लिए सभी तरह से उपयुक्त है।

10.1 अंकों को पूर्णांकित करना एवं टाई ब्रेकिंग सिद्धांत:

अंकों को पूर्णांकित करने से संबंधित प्रावधान, जहां कहीं भी लागू हो, और अंकों में टाई के मामलों को हल करने के लिए प्रावधान नीचे दिए गए हैं:-

(क) अंकों को पूर्णांकित करना:

परीक्षा के सभी चरण (चरणों) में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्तांक, मानक पूर्णांकन सिद्धांत, जहां भी लागू हो, का प्रयोग करके दो दशमलव अंकों तक पूर्णांकित किए जाएंगे। तद्नुसार, टाई ब्रेकिंग सिद्धांतों का प्रयोग करते समय टाई संबंधी सभी मामलों का समाधान करने के लिए दो दशमलव अंकों तक पूर्णांकित प्राप्तांकों पर विचार किया जाएगा।

(ख) टाई ब्रेकिंग सिद्धांत:

(i) यदि कुल अंक (अंतिम अंक) बराबर हैं, तो लिखित परीक्षा के कुल अंकों में अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को उच्चतर रैंक दी जाएगी;

(ii) यदि उपरोक्त (i) में अंक समान हैं, तो "पेपर-II: सामान्य योग्यता परीक्षण" में अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को उच्चतर रैंक दी जाएगी;

(iii) यदि उपरोक्त (i) और (ii) के अंक भी समान हैं, तो आयु में वरिष्ठ उम्मीदवार को उच्चतर रैंक दी जाएगी; तथा

(iv) यदि उपर्युक्त टाई-ब्रेकिंग सिद्धांतों को लागू करने के उपरांत भी टाई रहता है, तो इसे आयोग के विवेकानुसार निपटाया जाएगा।

11. अंतिम रूप से अर्हक उम्मीदवारों को प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश:

इन शर्तों के अध्यधीन, अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा और सेवा चयन बोर्ड परीक्षण में उनके कुल अंकों के आधार पर एक एकल संयुक्त सूची में रखा जाएगा। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की सेना, नौसेना, वायु सेना और भारतीय नौसेना अकादमी की 10+2 कैडेट एंट्री स्कीम में प्रवेश के लिए अंतिम आबंटन/चयन, उम्मीदवारों की पात्रता, मेडिकल फिटनेस और मेरिट-सह-वरीयता के आधार पर उपलब्ध रिक्तियों की संख्या के अनुसार किया जाएगा। जो उम्मीदवार एक से अधिक सेवाओं/पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्र हैं, उन पर उनके वरीयता क्रम के संदर्भ में आबंटन/चयन के लिए विचार किया जाएगा और एक सेवा/पाठ्यक्रम में उनके अंतिम आबंटन/चयन के मामले में, शेष सेवाओं/पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए उन पर विचार नहीं किया जाएगा।

पात्र उम्मीदवार को ऑनलाइन पोर्टल (विवरण) के माध्यम से एक ज्वाइनिंग पत्र दिया जाएगा, जिसमें रिपोर्ट करने से संबंधित तारीख बताई जाएगी। नियुक्ति पत्र प्राप्त होने के पश्चात, उम्मीदवार को www.joinindianarmy.nic.in से पाठ्यक्रम के लिए नियुक्ति संबंधी अनुदेश डाउनलोड करने होंगे और दिए गए दिशा-निर्देशों का अनुपालन करना होगा। जो उम्मीदवार पहले से लिखित सूचना या अनुरोध प्रस्तुत किए बिना रिपोर्ट करने की विनिर्दिष्ट तारीख से सात (7) दिन के भीतर अकादमी में रिपोर्ट नहीं करते, उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। इसके पश्चात इस संबंध में कोई पत्र-व्यवहार नहीं किया जाएगा।

12. प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अनर्हताएं:

जिन उम्मीदवारों को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में पहले किसी कोर्स में अथवा भारतीय नौ सेना अकादमी की 10+2 कैडेट एंट्री स्कीम के कोर्स में प्रवेश दिया गया था पर अधिकारी सुलभ विशेषताओं के अभाव के कारण या अनुशासनिक आधार पर वहां से निकाल दिये गए हैं उनको अकादमी में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

जिन उम्मीदवारों को अस्वस्थता के आधार पर पहले राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, भारतीय नौ सेना अकादमी से वापस ले लिया गया था या जिन्होंने अपनी इच्छा से उक्त अकादमी छोड़ दी थी उन्हें अकादमी में प्रवेश मिल सकता है बशर्ते वे स्वास्थ्य संबंधी तथा अन्य निर्धारित शर्तें पूरी करते हों।

13. राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और नौ सेना अकादमी में प्रवेश पाने वाले उम्मीदवारों के लिए(क) परीक्षा की योजना, और पाठ्यक्रम (ख) वस्तुपरक परीक्षणों हेतु उम्मीदवार के लिए विशेष अनुदेश (ग) प्रवेश हेतु शारीरिक मानक और (घ) सेवा आदि के संक्षिप्त विवरण के संबंध में विस्तृत जानकारी क्रमशः परिशिष्ट I,II,III,और IV में प्रदान की गई है।

टिप्पणी: आवेदन करने से पहले उम्मीदवार अधिसूचना में दिए गए अनुदेश सावधानीपूर्वक पढ़ लें। परीक्षा की अधिसूचना अंग्रेजी एवं हिन्दी दोनों में प्रकाशित की जाती है। किसी विवाद की स्थिति में, अंग्रेजी पाठ ही मान्य होगा।

(जे.के. मण्डल)
अवर सचिव (परीक्षा)
संघ लोक सेवा आयोग

परिशिष्ट-I

(परीक्षा की योजना और पाठ्यक्रम)

(क) परीक्षा की योजनाः

1. लिखित परीक्षा के विषय, निर्धारित समय तथा प्रत्येक विषय के अधिकतम अंक निम्नानुसार होंगे:--

विषय	**कोड**	**अवधि**	**अधिकतम अंक**
गणित	01	2-1/2 घंटे	300
सामान्य योग्यता परीक्षा	02	2-1/2 घंटे	600
कुल			900
सेवा चयन बोर्ड परीक्षा / साक्षात्कार			900

2. **सभी विषयों के प्रश्न-पत्रों में केवल वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे। गणित और सामान्य योग्यता परीक्षा के भाग-ख के प्रश्न-पत्र (परीक्षा पुस्तिकाएं) हिन्दी और अंग्रेजी में द्विभाषी रूप से तैयार किए जाएंगे।**

3. प्रश्न-पत्रों में, जहां भी आवश्यक होगा, केवल तोल और माप की मीट्रिक पद्धति से संबंधित प्रश्न ही पूछे जाएंगे।

4. उम्मीदवारों को प्रश्न -पत्रों के उत्तर स्वयं लिखने होंगे। किसी भी परिस्थिति में उन्हें प्रश्न पत्र के उत्तर लिखने के लिए स्क्राइब की मदद लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

5. परीक्षा के किसी एक अथवा सभी विषयों के अर्हक अंकों का निर्धारण आयोग के विवेक के अनुसार होगा।

6. उम्मीदवारों को वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न-पत्रों (प्रश्न-पुस्तिकाओं) के उत्तर लिखने के लिये कैलकुलेटर अथवा गणितीय अथवा लघुगणक सारणियां प्रयोग करने की अनुमति नहीं है।अतः वे उन्हें परीक्षा भवन में न लाएं।

(ख) परीक्षा का पाठ्यक्रम:

प्रश्न-पत्र-I

गणित

(कोड संख्या 01)

(अधिकतम अंक 300)

1. बीजगणित:

समुच्चय की अवधारणा, समुच्चयों पर संक्रिया, वेन आरेख। द-मोरगन नियम, कार्तीय गुणन, संबंध, तुल्यता-संबंध।

वास्तविक संख्याओं का एक रेखा पर निरूपण। सम्मिश्र संख्याएं- आधारभूत गुणधर्म, मापक, कोणांक, इकाई का घनमूल। संख्याओं की द्विआधारी प्रणाली। दशमलव प्रणाली की एक संख्या का द्विआधारी प्रणाली में परिवर्तन तथा विलोमतः परिवर्तन। अंकगणितीय, ज्यामितीय तथा हरात्मक श्रेणी। वास्तविक गुणांकों सहित द्विघात समीकरण। आरेखों द्वारा दो चरों वाले रैखिक असमिका का हल। क्रमचय तथा संचय। द्विपद प्रमेय तथा इसके अनुप्रयोग। लघुगणक तथा उनके अनुप्रयोग।

2. आव्यूह तथा सारणिक:

आव्यूहों के प्रकार, आव्यूहों पर संक्रिया। आव्यूह के सारणिक, सारणिकों के आधारभूत गुणधर्म, वर्ग आव्यूह के सहखंडन तथा व्युत्क्रम, अनुप्रयोग-दो या तीन अज्ञातों में रैखिक समीकरणों के तंत्र का क्रैमर के नियम तथा आव्यूह पद्धति द्वारा हल।

3. त्रिकोणमिति:

कोण तथा डिग्रियों तथा रेडियन में उनका मापन। त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय सर्वसमिका योग तथा अंतर सूत्र। बहुल तथा अपवर्तक कोण। व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय फलन। अनुप्रयोग- ऊंचाई तथा दूरी, त्रिकोणों के गुणधर्म।

4. दो तथा तीन विमाओं की विश्लेषक ज्यामिति:

आयताकार कार्तीय निर्देशक पद्धति।दूरी सूत्र। एक रेखा का विभिन्न प्रकारों में समीकरण। दो रेखाओं के मध्य कोण। एक रेखा से एक बिन्दु की दूरी। मानक तथा सामान्य प्रकार में एक वृत्त का समीकरण। परवलय, दीर्घवृत्त तथा अतिपरवलय के मानक प्रकार। एक शांकव की उत्केन्द्रता तथा अक्ष त्रिविम आकाश में बिन्दु, दो बिन्दुओं के मध्य दूरी। दिक्-को साइन तथा दिक्-अनुपात। समतल तथा रेखा के विभिन्न प्रकारों में समीकरण। दो रेखाओं के मध्य कोण तथा दो तलों के मध्य कोण। गोले का समीकरण।

5. अवकल गणित:

वास्तविक मान फलन की अवधारणा-फलन का डोमेन, रेंज व ग्राफ। संयुक्त फलन, एकेंकी, आच्छादक तथा व्युत्क्रम फलन, सीमांत की धारणा, मानक सीमांत-उदाहरण। फलनों के सांतत्य-उदाहरण, सांतत्य फलनों पर बीज गणितीय संक्रिया। एक बिन्दु पर एक फलन का अवकलन एक अवकलन के ज्यामितीय तथा भौतिक निर्वचन-अनुप्रयोग। योग के अवकलज, गुणनफल और फलनों के भागफल, एक फलन का दूसरे फलन के साथ अवकलज, संयुक्त फलन का अवकलज। द्वितीय श्रेणी अवकलज, वर्धमान तथा ह्रास फलन। उच्चिष्ठ तथा अल्पिष्ठ की समस्याओं में अवकलजों का अनुप्रयोग।

6. समाकलन गणित तथा अवकलन समीकरण:

अवकलन के प्रतिलोम के रूप में समाकलन, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन तथा खंडशः समाकलन, बीजीय व्यंजकों सहित मानक समाकल, त्रिकोणमितीय, चरघातांकी तथा अतिपरवलयिक फलन निश्चित समाकलनों का मानांकन वक्ररेखाओं द्वारा घिरे समतल क्षेत्रों के क्षेत्रफलों का निर्धारण - अनुप्रयोग।

अवकलन समीकरण की डिग्री तथा कोटि की परिभाषा,उदाहरणों द्वारा अवकलन समीकरण की रचना। अवकलन समीकरण का सामान्य तथा विशेषहल, विभिन्न प्रकार की प्रथम कोटि तथा प्रथम डिग्री अवकलन समीकरणो का हल-उदाहरण। वृद्धि तथा क्षय की समस्याओं में अनुप्रयोग।

7. सदिश बीजगणित:

दो तथा तीन विमाओं में सदिश, सदिश का परिमाण तथा दिशा, इकाई तथा शून्य सदिश, सदिशों का योग, एक सदिश का अदिश गुणन, दो सदिशों का अदिश गुणनफल या बिन्दुगुणनफल। दो सदिशों का सदिश गुणनफल या क्रॉस गुणनफल।अनुप्रयोग-बल तथा बल के आघूर्ण तथा किया गया कार्य तथा ज्यामितीय समस्याओं में अनुप्रयोग।

8. सांख्यिकी तथा प्रायिकता:

सांख्यिकीः आंकड़ों का वर्गीकरण, बारंबारता-बंटन, संचयी बारंबारता-बंटन-उदाहरण।ग्राफीय निरूपण-आयत चित्र, पाई चार्ट, बारंबारता बहुभुज-उदाहरण। केन्द्रीय प्रवृत्ति का मापन-माध्य, माध्यिका तथा बहुलक। प्रसरण तथा मानक विचलन-निर्धारण तथा तुलना। सहसंबंध तथा समाश्रयण।

प्रायिकताः यादृच्छिक प्रयोग, परिणाम तथा सहचारी प्रतिदर्श समष्टि घटना, परस्पर परवर्जित तथानिशेष घटनाएं-असंभव तथा निश्चित घटनाएं, घटनाओं का सम्मिलन तथा सर्वनिष्ठ, पूरक, प्रारंभिक तथा संयुक्त घटनाएं। प्रायिकता पर प्रारंभिक प्रमेय-साधारण प्रश्न। प्रतिदर्श समाविष्ट पर फलन के रूप में यादृच्छिक चर बंटन, द्विआधारी बंटन को उत्पन्न करने वाले यादृच्छिक प्रयोगों के उदाहरण।

प्रश्न पत्र-II
सामान्य योग्यता परीक्षण
(कोड संख्या 02)
(अधिकतम अंक-600)

भाग 'क' - अंग्रेजी:

(अधिकतम अंक 200)

अंग्रेजी का प्रश्न-पत्र इस प्रकार का होगा जिससे उम्मीदवार की अंग्रेजी भाषा की समझ और शब्दों के कुशल प्रयोग की जांच हो सके। पाठ्यक्रम में विभिन्न पहलू समाहित हैं जैसे व्याकरण और उसका प्रयोग, शब्दावली तथा अंग्रेजी में उम्मीदवार की प्रवीणता की परख हेतु विस्तारित पाठ की समझ तथा उसमें संबद्धता।

भाग 'ख'- सामान्य ज्ञान

(अधिकतम अंक 400)

सामान्य ज्ञान के प्रश्न-पत्रों में मुख्य रूप से भौतिकी, रसायन शास्त्र, सामान्य विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, भूगोल तथा सम-सामायिक घटनाक्रम शामिल होंगे।

इस प्रश्न-पत्र में शामिल किए गए विषयों का क्षेत्र दर्शाने के लिए निम्नलिखित पाठ्यक्रम तैयार किया गया है। उल्लिखित विषयों को सर्वांश पूर्ण नहीं मान लेना चाहिए। इसी प्रकार के उन उप-विषयों पर भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं जिनका इस पाठ्यक्रम में उल्लेख नहीं किया गया है। उम्मीदवार द्वारा दिये गये उत्तरों से यह पता चलना चाहिए कि उसे सबंधित विषय की जानकारी है और वह इसे पूरी तरह समझता है।

खंड-'क' (भौतिकी):

द्रव्य के भौतिक गुणधर्म तथा स्थितियां, संहति, भार, आयतन, घनत्व तथा विशिष्ट घनत्व, आर्कमिडिज का सिद्धांत, वायुदाब मापी।

बिम्ब की गति, वेग और त्वरण, न्यूटन के गति नियम, बल और संवेग, बल समान्तर चतुर्भुज, पिण्ड का स्थायित्व और संतुलन, गुरुत्वाकर्षण, कार्य, शक्ति और ऊर्जा का प्रारंभिक ज्ञान।

ऊष्मा का प्रभाव, तापमान की माप और ऊष्मा, स्थिति परिवर्तन और गुप्त ऊष्मा, ऊष्मा अभिगमन की विधियां।

ध्वनि तरंग और उनके गुण-धर्म, सरल वाद्य यंत्र।

प्रकाश का ऋतुरेखीय चरण, परावर्तन और अपवर्तन, गोलीय दर्पण और लेन्सेस, मानव नेत्र।

प्राकृतिक तथा कृत्रिम चुम्बक, चुम्बक के गुण धर्म। चुम्बक के रूप में पृथ्वी

स्थैतिक तथा धारा विद्युत। चालक और अचालक, ओहम नियम, साधारण विद्युत परिपथ। धारा के मापन, प्रकाश तथा चुम्बकीय प्रभाव, वैद्युत शक्ति का माप। प्राथमिक और गौण सेल। एक्स-रे के उपयोग।

निम्नलिखित के कार्य के संचालन के सामान्य सिद्धान्त:

सरल लोलक, सरल घिरनी, साइफन, उत्तोलक, गुब्बारा, पंप, हाइड्रोमीटर, प्रेशर कुकर, थर्मस फ्लास्क, ग्रामोफोन, टेलीग्राफ, टेलीफोन, पेरिस्कोप, टेलिस्कोप, माइक्रोस्कोप, नाविक दिक्सूचक, तड़ित चालक, सुरक्षा फ्यूज।

खंड-'ख'(रसायन शास्त्र):

भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन, तत्व, मिश्रण तथा यौगिक, प्रतीक, सूत्र और सरल रासायनिक समीकरण, रासायनिक संयोग के नियम (समस्याओं को छोड़कर)। वायु तथा जल के गुण-धर्म,
हाइड्रोजन, आक्सीजन, नाइट्रोजन तथा कार्बन-डाई-आक्साइड की रचना और गुण धर्म, ऑक्सीकरण और अपचयन।
अम्ल, क्षार और लवण।
कार्बन-भिन्न रूप
उर्वरक-प्राकृतिक और कृत्रिम।
साबुन, कांच, स्याही, कागज, सीमेंट, पेंट, दियासलाई और गनपाउडर जैसे पदार्थों को तैयार करने के लिए आवश्यक सामग्री।
परमाणु की रचना, परमाणु तुल्यमान और अणुभार, संयोजकता का प्रारंभिक ज्ञान।

खंड-'ग' (सामान्य विज्ञान):

जड़ और चेतन में अंतर।
जीवन का आधार -कोशिकाएं, जीवद्रव्य और ऊतक ।
वनस्पति और प्राणियों में वृद्धि और जनन।
मानव शरीर और उसके महत्वपूर्ण अंगों का प्रारंभिक ज्ञान।
सामान्य महामारियां और उनके कारण तथा रोकने के उपाय।
भोजन-मनुष्य के लिए ऊर्जा का स्रोत। भोजन के अवयव। संतुलित आहार।
सौर परिवार, उल्का और धूमकेतु, ग्रहण।
प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों की उपलब्धियां।

खंड-'घ' (इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन आदि.)

भारतीय इतिहास का व्यापक सर्वेक्षण जिसमें संस्कृति और सभ्यता पर विशेष बल हो।
भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन।
भारतीय संविधान और प्रशासन का बुनियादी अध्ययन।
भारत की पंचवर्षीय योजनाओं का प्रारंभिक ज्ञान।
पंचायती राज, सहकारी समितियां और सामुदायिक विकास।
भूदान, सर्वोदय, राष्ट्रीय एकता और कल्याणकारी राज्य, महात्मा गांधी के मूल उपदेश।

आधुनिक विश्व निर्माण करने वाली ताकतें, पुनर्जागरण, अन्वेषण और खोज,अमेरिका का स्वाधीनता संग्राम।फ्रांसीसी क्रांति, औद्योगिक क्रांति और रूसी क्रांति।समाज पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी का प्रभाव।एक विश्व की संकल्पना, संयुक्त राष्ट्र, पंचशील, लोकतंत्र, समाजवाद तथा साम्यवाद।वर्तमान विश्व में भारत का योगदान।

खंड-'ङ' (भूगोल):

पृथ्वी, इसकी आकृति और आकार, अक्षांश और देशांतर, समय की संकल्पना, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, पृथ्वी की गतियां और उनके प्रभाव।

पृथ्वी का उद्भव, चट्टानें और उनका वर्गीकरण, अपक्षय-यांत्रिक और रासायनिक, भूकंप तथा ज्वालामुखी।

महासागर धाराएं और ज्वार भाटा।

वायुमण्डल और इसकी संरचना, तापमान और वायुमण्डलीय दाब, भूमण्डलीय पवन, चक्रवात और प्रति चक्रवात, आर्द्रता, संघनन और वर्षण जलवायु के प्रकार, विश्व के प्राकृतिक क्षेत्र।

भारत का क्षेत्रीय भूगोल-जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, खनिज और शक्ति संसाधन, कृषि और औद्योगिक कार्यकलापों के स्थान और वितरण।

भारत के महत्वपूर्ण समुद्र पत्तन तथा मुख्य समुद्री, भू और वायु मार्ग,उनके लिए स्थान। भारत के आयात और निर्यात की मुख्य मदें।

खंड-'छ' (समसामयिक घटनाएं):

हाल ही के वर्षों में भारत में हुई महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी। पूरे विश्व में होने वाली समसामयिक महत्वपूर्ण घटनाएं।

प्रतिष्ठित व्यक्ति-भारतीय और अन्तर्राष्ट्रीय, इनमें सांस्कृतिक क्रियाकलापों और खेलकूद से संबंधित व्यक्ति भी शामिल हैं।

टिप्पणी:

इस प्रश्न-पत्र के भाग (ख) के लिए निर्धारित अधिकतम अंकों में से खण्ड क, ख, ग, घ, च तथा छ प्रश्नों के क्रमशः लगभग 25%, 15%, 10%, 20%, 20% तथा 10% अंक होंगे।

<u>बुद्धि तथा व्यक्तित्व संबधी परीक्षा</u>:

सेवा चयन बोर्ड(एसएसबी) प्रक्रिया के अंतर्गत चयन प्रक्रिया के दो चरण होते हैं चरण-**I** व चरण-**II** में केवल उन्हीं उम्मीदवारों को बैठने की अनुमति दी जाती है जो चरण-। में सफल होते हैं। इसका विवरण निम्नानुसार हैः

(क) चरण-**I** के अंतर्गत अधिकारी बुद्धिमता रेटिंग (ओआईआर) परीक्षा तथा चित्र बोध (पिक्चर परसेप्शन) एवं विवरण परीक्षा (पीपी एवं डीटी) होती है। उम्मीदवारों को ओआईआर परीक्षा तथा पीपी एवं डीटी दोनों में संयुक्त रूप से उनकी क्षमता प्रदर्शन के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा।

(ख) चरण-**II** के अंतर्गत साक्षात्कार, ग्रुप टेस्टिंग अधिकारी टास्क, मनोविज्ञान परीक्षा तथा कांफ्रेंस शामिल हैं। ये परीक्षाएं 4 दिन की अवधि में आयोजित की जाती हैं। इन परीक्षाओं के विवरण वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर दिये गए हैं।

किसी उम्मीदवार के व्यक्तित्व का आकलन तीन विभिन्न आकलनकर्ताओं नामतः साक्षात्कार अधिकारी (आईओ), ग्रुप टेस्टिंग अधिकारी (जीटीओ) तथा मनोवैज्ञानिक द्वारा किया जाता है। प्रत्येक परीक्षा के लिए अलग-अलग अंक (वेटेज) नहीं हैं। आकलनकर्ताओं द्वारा उम्मीदवारों को अंकों का आबंटन

सभी परीक्षाओं में उनके समग्र कार्य-निष्पादन पर विचार करने के पश्चात ही किया जाता है। इसके अतिरिक्त, कांफ्रेंस हेतु अंकों का आबंटन भी तीनों तकनीकों में उम्मीदवार के आरंभिक क्षमता प्रदर्शन तथा बोर्ड के निर्णय के आधार पर किया जाता है। इन सभी के अंक (वेटेज) समान हैं।

आईओ, जीटीओ तथा मनोविज्ञान की विभिन्न परीक्षाएं इस प्रकार तैयार की गई हैं जिससे उम्मीदवार में अधिकारी-सम्मत गुणों (आफिसर लाइक क्वालिटीज) के होने / नहीं होने तथा प्रशिक्षित किए जा सकने की उसकी क्षमता के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। तदनुसार, एसएसबी में उम्मीदवारों की अनुशंसा की जाती है।

परिशिष्ट –II

वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षणों हेतु उम्मीदवार के लिए विशेष अनुदेश

1. **परीक्षा हॉल में निम्नलिखित वस्तुएं लाने की अनुमति होगी:**

   क्लिप बोर्ड या हार्ड बोर्ड (जिस पर कुछ न लिखा हो), उत्तर पत्रक पर उत्तर अंकित करने के लिए अच्छी किस्म का काला बॉल पेन। उत्तर पत्रक और कच्चे कार्य के लिए रफ शीट निरीक्षक द्वारा दी जाएंगी।

2. **परीक्षा हॉल में निम्नलिखित वस्तुएं लाने की अनुमति नहीं होगी:**

- ऊपर दर्शाई गई वस्तुओं के अलावा अन्य कोई वस्तु जैसे कोई भी कीमती/महंगी वस्तु, मोबाइल फोन, स्मार्ट/डिजिटल घडियां, अन्य आईटी गैजेट, पुस्तकें,बैग, नोट्स, खुले कागज, इलैक्ट्रानिक या अन्य किसी प्रकार के केलकुलेटर, गणितीय तथा आरेख उपकरण, लघुगुणक सारणी, मानचित्रों के स्टेंसिल, स्लाइड रूल, पहले सत्र (सत्रों) से संबंधित परीक्षण पुस्तिका और कच्चे कार्यपत्रक, आदि परीक्षा हाल में न लाएं।

- मोबाइल फोन, ब्ल्टूथ,पेजर एवं अन्य संचार यंत्र (स्विच-ऑफ मोड में भी) या अन्य कोई आपत्तिजनक सामग्री (ई-प्रवेश पत्र, पेपर, रबड़ आदि में नोट्स) रखने अथवा उसका उपयोग उस परिसर में करने की अनुमति नहीं है जहां परीक्षा आयोजित की जा रही है। इन अनुदेशों का उल्लंघन करने पर अनुशासनिक कार्यवाही करने के साथ-साथ भविष्य में आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं से विवर्जित किया जा सकता है।

- उम्मीदवारों को उनके अपने हित में सलाह दी जाती है कि वे मोबाइल फोन/पेजर/ब्लूटूथ सहित कोई भी प्रतिबंधित वस्तु परीक्षा परिसर में न लाएं क्योंकि परीक्षा-स्थल पर इनकी सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की जाएगी। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा हॉल में कोई भी कीमती/मूल्यवान वस्तु न लाएं क्योंकि परीक्षा-स्थल पर इनकी सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की जाएगी। इस संबंध में हुए किसी भी नुकसान के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा।

3. गलत उत्तरों के लिए दंड

वस्तुनिष्ठ प्रश्न-पत्रों में उम्मीदवार द्वारा दिए गए गलत उत्तरों के लिए दंड (नेगेटिव मार्किंग) दिया जाएगा।

(i) प्रत्येक प्रश्न के लिए चार वैकल्पिक उत्तर हैं। उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किए गए अंकों का **एक तिहाई (0.33)** दंड के रूप में काटा जाएगा।

(ii) यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक उत्तर देता है, तो इसे **गलत उत्तर** माना जाएगा। चाहे दिए गए उत्तरों में से एक उत्तर सही हो, फिर भी उस प्रश्न के लिए उपर्युक्तानुसार उसी तरह का दंड दिया जाएगा।

(iii) यदि उम्मीदवार द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है अर्थात् उम्मीदवार द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है तो उस प्रश्न के लिए **कोई दंड नहीं** दिया जाएगा।

4. अनुचित तरीके अपनाना पूर्णतः निषिद्ध है

कोई भी उम्मीदवार किसी भी अन्य उम्मीदवार के पेपरों से न तो नकल करेगा और न ही अपने पेपरों से नकल करवाएगा, न ही किसी अन्य तरह की अनुचित सहायता देगा, न ही सहायता देने का प्रयास करेगा, न ही सहायता प्राप्त करेगा और न ही प्राप्त करने का प्रयास करेगा।

5. परीक्षा भवन में आचरण

कोई भी उम्मीदवार परीक्षा हॉल में किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार न करे अथवा अव्यवस्था न फैलाएं तथा परीक्षा के संचालन हेतु आयोग द्वारा तैनात स्टाफ को परेशान न करें। ऐसे किसी भी दुराचरण के लिए कठोर दंड दिया जाएगा।

6. उत्तर पत्रक विवरण

(i) उत्तर पत्रक के ऊपरी सिरे के निर्धारित स्थान पर आप काले बाल प्वांइट पेन से अपना केन्द्र और विषय, परीक्षण पुस्तिका श्रृंखला (कोष्ठकों में), विषय कोड और अनुक्रमांक लिखें। उत्तर पत्रक में इस प्रयोजन के लिए निर्धारित वृत्तों में अपनी परीक्षण पुस्तिका श्रृंखला (ए, बी, सी, डी यथास्थिति), विषय कोड तथा अनुक्रमांक कूटबद्ध करें। उपर्युक्त विवरण लिखने तथा उपर्युक्त विवरण कूटबद्ध करने के लिए दिशा-निर्देश अनुबंध में दिए गए हैं। यदि परीक्षण पुस्तिका पर पुस्तिका श्रृंखला मुद्रित न हुई हो अथवा उत्तर पत्रक पर संख्या न हो तो कृपया निरीक्षक को तुरंत रिपोर्ट करें और परीक्षण पुस्तिका/उत्तर पत्रक को बदल लें।

(ii) उम्मीदवार नोट करें कि ओएमआर उत्तर पत्रक में विवरण कूटबद्ध करने/भरने में, विशेषकर अनुक्रमांक तथा परीक्षण पुस्तिका श्रृंखला कोड के संदर्भ में किसी प्रकार की चूक/त्रुटि/विसंगति होने पर उत्तर पत्रक अस्वीकृत किया जाएगा।

(iii) परीक्षा आरंभ होने के तत्काल बाद कृपया जांच कर लें कि आपको जो परीक्षण पुस्तिका दी

गई है उसमें कोई पृष्ठ या मद आदि अमुद्रित या फटा हुआ अथवा गायब तो नहीं है। यदि ऐसा है तो उसे उसी श्रृंखला तथा विषय की पूर्ण परीक्षण पुस्तिका से बदल लेना चाहिए।

7. उत्तर पत्रक/परीक्षण पुस्तिका/कच्चे कार्य के लिए दी गई शीट में मांगी गई विशिष्ट मदों की सूचना के अलावा कहीं पर भी अपना नाम या और कुछ नहीं लिखें।

8. उत्तर पत्रकों को न मोड़ें या न विकृत करें अथवा न बर्बाद करें अथवा उसमें न ही कोई अवांछित/असंगत निशान लगाएं। उत्तर पत्रक के पीछे की ओर कुछ भी न लिखें।

9. चूंकि उत्तर पत्रकों का मूल्यांकन कंप्यूटरीकृत मशीनों पर होगा,अत: उम्मीदवारों को उत्तर पत्रकों के रखरखाव तथा उन्हें भरने में उचित सावधानी बरतनी चाहिए। **उन्हें वृत्तों को काला करने के लिए केवल काले बॉल पेन का उपयोग करना चाहिए। बॉक्सों में लिखने के लिए उन्हें काले बॉल पेन का इस्तेमाल करना चाहिए। चूंकि कम्प्यूटरीकृत मशीनों द्वारा उत्तर पत्रकों का मूल्यांकन करते समय उम्मीदवारों द्वारा वृत्तों को काला करके भरी गई प्रविष्टियों को ही ध्यान में रखा जाएगा, अत: उन्हें इन प्रविष्टियों को बड़ी सावधानी से तथा सही-सही भरना चाहिए।**

10. **उत्तर अंकित करने का तरीका**

वस्तुनिष्ठ परीक्षा में आपको उत्तर लिखने नहीं होंगे। प्रत्येक प्रश्न (जिन्हें आगे प्रश्नांश कहा जाएगा) के लिए कई सुझाए गए उत्तर (जिन्हें आगे प्रत्युत्तर कहा जाएगा) दिए जाते हैं। उनमें से प्रत्येक प्रश्नांश के लिए आपको एक प्रत्युत्तर चुनना है। प्रश्न पत्र परीक्षण पुस्तिका के रूप में होगा। इस पुस्तिका में क्रम संख्या 1, 2, 3...... आदि के क्रम में प्रश्नांश के नीचे (ए), (बी),(सी) और (डी) के रूप में प्रत्युत्तर अंकित होंगे। आपके एक सही प्रत्युत्तर चुनना है। यदि आपको एक से अधिक प्रत्युत्तर सही लगें तो उनमें से आपको सर्वोत्तम प्रत्युत्तर का चुनाव करना होगा। किसी भी स्थिति में प्रत्येक प्रश्नांश के लिए आपको एक ही प्रत्युत्तर का चुनाव करना होगा। यदि आप एक से अधिक प्रत्युत्तर चुन लेते हैं तो आपका प्रत्युत्तर गलत माना जाएगा।

उत्तर पत्रक में 1 से 160 तक क्रम संख्याएं मुद्रित हैं। प्रत्येक प्रश्नांश (संख्या) के सामने (ए), (बी), (सी) और (डी) चिन्ह वाले वृत्त मुद्रित हैं। जब आप परीक्षण पुस्तिका के प्रत्येक प्रश्नांश को पढ़ लें और यह निर्णय लेने के बाद कि दिए गए प्रत्युत्तरों में से कौन सा एक प्रत्युत्तर सही या सर्वोत्तम हैं, तब **आपको अपना प्रत्युत्तर उस वृत्त को काले बॉल पेन से पूरी तरह से काला करके अंकित कर देना है।**

उदाहरण के तौर पर यदि प्रश्नांश 1 का सही प्रत्युत्तर (बी) है तो अक्षर (बी) वाले वृत्त को निम्नानुसार काले बॉल पेन से पूरी तरह काला कर देना चाहिए जैसा कि नीचे दिखाया गया है।
उदाहरण (a) •(c) (d)

11. **स्कैन किए जाने योग्य उपस्थिति सूची में प्रविष्टि**:

उम्मीदवारों को स्कैनेबल उपस्थिति सूची में अपने कॉलम के सामने **केवल काले बॉल पेन** से संगत विवरण भरना है जैसाकि नीचे दिया गया है:-

(i) कॉलम (उपस्थिति/अनुपस्थिति) में [P] वाले गोले को काला करना है।

(ii) परीक्षण पुस्तिका श्रृंखला के लिए संगत गोले को काला करें।

(iii) परीक्षण पुस्तिका क्रम संख्या लिखें।

(iv) उत्तर पत्रक क्रम संख्या लिखें और प्रत्येक अंक के नीचे दिए गए गोले को भी काला करें।

(v) दिए गए स्थान पर अपना हस्ताक्षर करें।

12. कृपया परीक्षण पुस्तिका के आवरण पर दिए गए अनुदेशों को पढ़ें और उनका पालन करें। यदि कोई उम्मीदवार अव्यवस्थित अथवा अनुचित आचरण में शामिल होता है तो वह अनुशासनिक कार्रवाई और/या आयोग द्वारा उचित समझे जाने वाले दंड का भागी बन सकता है।

अनुबंध

परीक्षा भवन में वस्तुपरक परीक्षणों के उत्तर पत्रक कैसे भरें

कृपया इन अनुदेशों का अत्यंत सावधानीपूर्वक पालन करें। आप यह नोट कर लें कि चूंकि उत्तर-पत्रक का मूल्यांकन मशीन द्वारा किया जाएगा, इन अनुदेशों का किसी भी प्रकार का उल्लंघन आपके प्राप्तांकों को कम कर सकता है, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे। उत्तर पत्रक पर अपना प्रत्युत्तर अंकित करने से पहले आपको इसमें कई तरह के विवरण लिखने होंगे।

उम्मीदवार को उत्तर पत्रक प्राप्त होते ही यह जांच कर लेनी चाहिए कि इसमें नीचे संख्या दी गई है। यदि इसमें संख्या न दी गई हो तो उम्मीदवार को उस पत्रक को संख्या वाले किसी पत्रक के साथ तत्काल बदलवा लेना चाहिए।

आप उत्तर-पत्रक में देखेंगे कि आपको सबसे ऊपर की पंक्ति में इस प्रकार लिखना होगा।

केंद्र Centre	विषय Subject	विषय कोड Subject Code		अनुक्रमांक Roll Number						

मान लो कि आप गणित के प्रश्न-पत्र के वास्ते दिल्ली केन्द्र पर परीक्षा में उपस्थित हो रहे हैं और आपका अनुक्रमांक 081276 है तथा आपकी परीक्षण पुस्तिका श्रृंखला 'ए' है तो आपको काले बॉल पेन से इस प्रकार भरना चाहिए।

केंद्र Centre	विषय Subject	विषय कोड Subject Code		अनुक्रमांक Roll Number					
दिल्ली	गणित	0	1	0	8	1	2	7	6

परीक्षण पुस्तिका श्रृंखला कोड पुस्तिका के सबसे ऊपर दायें हाथ के कोने पर ए बी सी अथवा डी के अनुक्रमांक के अनुसार निर्दिष्ट हैं।

आप काले बॉल पेन से अपना वही अनुक्रमांक लिखें जो आपके ई-प्रवेश पत्र में है। यदि अनुक्रमांक में कहीं शून्य हो तो उसे भी लिखना न भूलें।

आपको अगली कार्रवाई यह करनी है कि आप समय-सारणी में से समुचित विषय कोड ढूढ़ें। अब काले बॉल पेन से आप परीक्षण पुस्तिका श्रृंखला, विषय कोड तथा अनुक्रमांक को इस प्रयोजन के लिए निर्धारित वृत्तों में कूटबद्ध करेंगे। केन्द्र का नाम कूटबद्ध करने की आवश्यकता नहीं है।

परीक्षण पुस्तिका श्रृंखला को लिखने और कूटबद्ध करने का कार्य परीक्षण पुस्तिका प्राप्त होने तथा उससे पुस्तिका श्रृंखला की पुष्टि करने के पश्चात् ही करना चाहिए। 'ए' परीक्षण पुस्तिका श्रृंखला के गणित प्रश्न पत्र के लिए आपको विषय कोड सं. 01 लिखना है, इसे इस प्रकार लिखें:

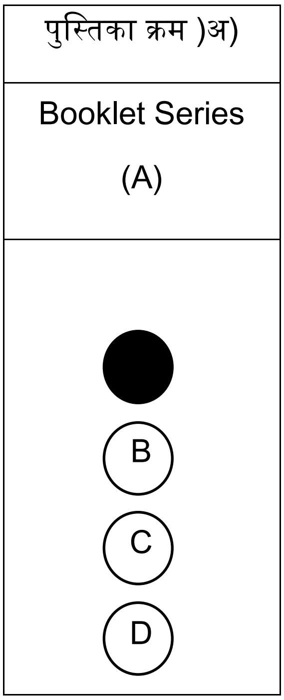

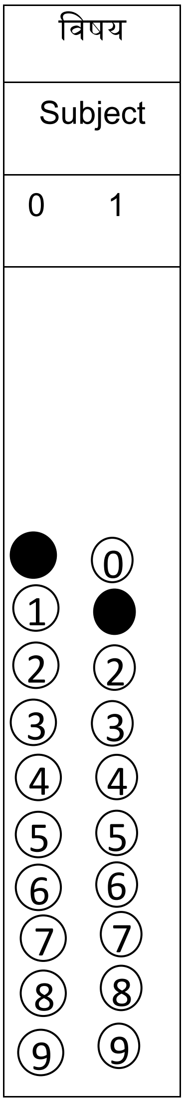

अनुक्रमांक

Number

0	8	1	2	7	6
●	⓪	⓪	⓪	⓪	⓪
①	①	●	①	①	①
②	②	②	●	②	②
③	③	③	③	③	③
④	④	④	④	④	④
⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤
⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	●
⑦	⑦	⑦	⑦	●	⑦
⑧	●	⑧	⑧	⑧	⑧
⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨

बस इतना करना है कि परीक्षण पुस्तिका श्रृंखला के नीचे दिए गए अंकित वृत्त 'ए' को पूरी तरह से काला कर दें और विषय कोड के नीचे'0'के लिए (पहले उर्ध्वाधिर कॉलम में) और 1 के लिए (दूसरे उर्ध्वाधिर कॉलम में) वृत्तों को पूरी तरह काला कर दें। आप वृत्तों को उसी प्रकार पूरी तरह काला करें जिस तरह आप उत्तर पत्रक में विभिन्न प्रश्नांशों के प्रत्युत्तर अंकित करते समय करेंगे। तब आप अनुक्रमांक 081276 को कूटबद्ध करें। इसे उसी के अनुरूप करेंगे।

महत्वपूर्ण : कृपया यह सुनिश्चित कर लें कि आपने अपना विषय, परीक्षण पुस्तिका क्रम तथा अनुक्रमांक ठीक से कूटबद्ध किया है।

* यह एक उदाहरण मात्र है तथा आपकी संबंधित परीक्षा से इसका कोई संबंध नहीं है।

परिशिष्ट-III

राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों के शारीरिक मानदडों से संबंधित दिशा निर्देश

टिप्पणी: उम्मीदवारों को निर्धारित शारीरिक मानदडों के अनुसार शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना आवश्यक है। नीचे दिए गए चिकित्सा स्वस्थता मानदंड प्रकाशन की तारीख को मौजूद दिशा-निर्देशों के अनुरूप हैं और इन दिशा-निर्देशों में संशोधन किया जा सकता है।

परीक्षा में अर्हता प्राप्त कई उम्मीदवारों को बाद में चिकित्सा आधार पर अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। अतः उम्मीदवारों को उनके हित में यह सलाह दी जाती है कि आवेदन प्रस्तुत करने से पहले अपनी चिकित्सा जांच करवा लें जिससे परीक्षा के अंतिम चरण में पहुंच कर उन्हें निराशा न हो।

1. उम्मीदवारों को यह भी परामर्श दिया जाता है कि सेवा चयन बोर्ड द्वारा उनके नाम की सिफारिश किए जाने के बाद अपने छोटे-मोटे दोष/बीमारियों का इलाज करवा लें ताकि सैनिक अस्पताल में की जाने वाली चिकित्सा जांच का निर्णय शीघ्र हो सके।

2. ऐसे कुछ दोष/बीमारियां नीचे दर्शाई गई हैं:--

(क) कान की मैल

(ख) डेविएटिड नेजल सेप्टम

(ग) हाइड्रोसिल/फीमोसिस

(घ) ज़्यादा वज़न/कम वज़न

(ङ) छाती कम चौड़ी होना

(च) बवासीर

(छ) गाइनिकोमेस्टिया

(ज) टांसिल

(झ) वेरिकोसिल

नोट: केवल अग्र बाजू के भीतर की तरफ अर्थात कुहनी के भीतर से कलाई तक और हथेली के ऊपरी भाग/हाथ के पिछले हिस्से की तरफ स्थायी बॉडी टैटू बनवाने की अनुमति है। शरीर के किसी अन्य हिस्से पर स्थायी बॉडी टैटू स्वीकार्य नहीं है तथा उम्मीदवार को आगे की चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। जनजातियों को उनके मौजूदा रीति रिवाजों एवं परंपराओं के अनुसार मामला दर मामला आधार पर उनके चेहरे या शरीर पर टैटू के निशान की अनुमति होगी। ऐसे मामलों में मंजूरी प्रदान करने के लिए कमांडेंट चयन केन्द्र सक्षम प्राधिकारी होगा।

3. सशस्त्र सेना में सभी प्रकार के कमीशन के लिए परीक्षा देने वाले असैनिक उम्मीदवार चयन बोर्ड द्वारा अपनी जांच के दौरान किसी प्रकार की चोट लगने या रोग संक्रमण होने पर सेना के स्रोतों से सरकारी खर्च पर बाह्य-रोगी चिकित्सा के हकदार होंगे। वे अस्पताल के अफसर-वार्ड में सरकारी खर्च पर अंतरंग रोगी चिकित्सा के भी हकदार होंगे, बशर्ते कि—

(क) चोट परीक्षा के दौरान लगी हो, अथवा

(ख) चयन बोर्ड द्वारा की गई जांच के दौरान रोग का संक्रमण हुआ हो और स्थानीय सिविल अस्पताल में उपयुक्त जगह नहीं हो या रोगी को सिविल अस्पताल में ले जाना मुश्किल हो; अथवा

(ग) यदि चिकित्सा बोर्ड ऑबजर्वेशन के लिए उम्मीदवार को भर्ती करना ज़रूरी समझे।

नोट: वे विशेष सेवा (नर्सिंग) के लिए पात्र नहीं हैं।

4. चिकित्सा प्रक्रिया:

सेवा चयन बोर्ड द्वारा अनुशंसित उम्मीदवार को सेना चिकित्सा अफसर बोर्ड द्वारा स्वास्थ्य जांच करानी होगी। अकादमी में केवल उन्हीं उम्मीदवारों को प्रवेश दिया जाएगा जो चिकित्सा बोर्ड द्वारा स्वस्थ घोषित किए जाएंगे। चिकित्सा बोर्ड की कार्यवाही गोपनीय होती है, जिसके बारे में किसी को नहीं बताया जाएगा। किन्तु चिकित्सीय रूप से अयोग्य घोषित उम्मीदवारों को उनके परिणाम की जानकारी चिकित्सा बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा दी जाएगी तथा उम्मीदवारों को अपील चिकित्सा बोर्ड से अनुरोध करने की प्रक्रिया भी बता दी जाएगी। अपील चिकित्सा बोर्ड के दौरान अयोग्य घोषित किए गए उम्मीदवारों को समीक्षा चिकित्सा बोर्ड संबंधी प्रावधान के बारे में सूचित किया जाएगा।

सशस्त्र बलों में अधिकारियों के चिकित्सा परीक्षण के लिए चिकित्सा मानक और प्रक्रिया:

सशस्त्र बलों (सेना, नौसेना और वायु सेना) के अधिकारियों के रूप में भर्ती के लिए उम्मीदवारों के चिकित्सा परीक्षण हेतु चिकित्सा मानक और प्रक्रियाएं "**सशस्त्र बलों में प्रवेश हेतु चिकित्सा मानकों की संयुक्त आदेश पुस्तिका (प्रथम संस्करण)**" द्वारा शासित होंगी।

यह दस्तावेज भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है और इसे www.joinindianarmy.nic.in के तहत मुख्य पृष्ठ → नीतियां → नीतियां : अधिकारियों का चयन → सशस्त्र बलों में प्रवेश हेतु चिकित्सा मानक (प्रथम संस्करण) में देखा जा सकता है।

परिशिष्ट-IV

(सेवा आदि से संबधित संक्षिप्त विवरण)

1. किसी उम्मीदवार के अकादमी में भर्ती होने से पूर्व उसके माता-पिता या अभिभावक को निम्नलिखित दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने होंगे:-

(क) इस आशय का प्रमाणपत्र कि वह यह अच्छी तरह समझता है कि वह या उसका पुत्र या आश्रित प्रशिक्षण के दौरान या उसके कारण कोई चोट लगने या ऊपर निर्दिष्ट किसी कारण से या अन्यथा हुई चोट का इलाज करने के लिए आवश्यक किसी शल्य चिकित्सा या एनेस्थीसिया के परिणामस्वरूप कोई

शारीरिक दिव्यांगता हो जाने या उसकी मृत्यु हो जाने पर सरकार से कोई मुआवजा या अन्य प्रकार की सहायता का दावा करने का पात्र नही होगा।

(ख) इस आशय का बंधपत्र कि, यदि उम्मीदवार को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से इस आधार पर निलंबित या निकाला या वापस किया गया कि उसने उक्त राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रवेश लेने के लिए अपने आवेदन-पत्र में जानबूझ कर गलत विवरण दिया अथवा तथ्यात्मक जानकारी को छिपाया अथवा यदि वह उक्त राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से स्वैच्छिक रूप से इस्तीफा देता है अथवा किसी ऐसे कारण से जो कैडेट के नियंत्रण में नहीं है, वह अपने प्रशिक्षण की निर्धारित अवधि पूरी नहीं करता है अथवा वह कैडेट, ऊपर बताए गए अनुसार कमीशन दिए जाने पर उसे स्वीकार नहीं करता है तो गारंटीकर्ता तथा कैडेट संयुक्त रूप से तथा अलग-अलग सरकार को तत्काल वह नकद राशि देने के लिए बाध्य होंगे जो सरकार नियत करेगी। किंतु यह राशि सरकार द्वारा कैडेट के प्रशिक्षण के दौरान उस पर खर्च की गई राशि तथा कैडेट द्वारा सरकार से प्राप्त किए गए वेतन तथा भत्ते सहित संपूर्ण राशि से अधिक नहीं होगी और इस पर ब्याज भी लगेगा और इसकी दर सरकार द्वारा दिए गए ऋण पर लगने वाली ब्याज दर, जो उस समय लागू हो, के समान होगी।

2. आवास, पुस्तकों, वर्दी,भोजन व्यवस्था तथा चिकित्सा उपचार सहित प्रशिक्षण पर हुआ व्यय सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। तथापि, कैडेट के माता-पिता या अभिभावक को उनके जेब खर्च व अन्य निजी खर्च का वहन करना होगा। सामान्यत: यह व्यय 3,000.00 रुपए प्रति माह से अधिक नहीं होगा। यदि किसी कैडेट के माता-पिता या अभिभावक इस व्यय को भी पूरी तरह या आंशिक रूप से वहन करने की स्थिति में नहीं हैं, तो ऐसे कैडेटों के माता-पिता या अभिभावक जिनकी मासिक आय **45,000/-रुपए प्रति माह** से कम है, के मामले में सरकार द्वारा प्रशिक्षण की अवधि के दौरान **2,500/-रुपए प्रति माह** की वित्तीय सहायता प्रदान की जा सकती है। जिन कैडेट्स के माता-पिता या अभिभावक की मासिक आय **45,000/-रुपए प्रति माह** से अधिक है, वे वित्तीय सहायता के पात्र नहीं होंगे। यदि एक से अधिक पुत्र/आश्रित एनडीए, आईएमए, ओटीए तथा नौसेना और वायुसेना की समकक्ष प्रशिक्षण स्थापना में साथ-साथ प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं तो वे दोनों ही वित्तीय सहायता के लिए पात्र होंगे।

2.1 भत्तों की मौजूदा दर पैरा 10 ख (iii), (iv) – टेक भत्ता चरण-I एवं II को छोड़कर], (v), (viii) एवं (ix) में उल्लिखित भत्ते महंगाई भत्ते की दर के अनुसार निर्धारित होते हैं।

यदि किसी उम्मीदवार के माता-पिता/अभिभावक सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए इच्छुक हों तो वे अपने पुत्र/आश्रित के राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रशिक्षण हेतु अंतिम रूप से चुने जाने के बाद तत्काल अपने जिले के जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से एक आवेदन प्रस्तुत करेंगे, जो उस आवेदन को अपनी संस्तुतियों के साथ कमांडेंट, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, खडकवासला, पुणे – 411023 को भेज देंगे।

3. प्रशिक्षण के लिए अंतिम रूप से चुने गये उम्मीदवारों को अकादमी में वहां पहुँचने पर कमांडेंट, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पास निम्नलिखित राशि जमा करनी होगीः-

(क)	प्रतिमाह **4000.00** रुपए की दर से पांच माह का जेब खर्च भत्ता	**रुपए 20,000.00**
(ख)	कपड़ों एवं उपकरण की मदों के लिए (उम्मीदवारों को कपड़ों एवं उपकरणों की मदों के लिए राशि जॉइनिंग अनुदेशों के दौरान सूचित की जायेगी)	
(ग)	सेना समूह बीमा निधि	रूपए 7200.00
(घ)	ज्वाइनिंग के समय अपेक्षित कपड़ों की मदें (उम्मीदवारों के लिए कपड़ों एवं उपकरणों की मदों के लिए लागत की सूचना जॉइनिंग अनुदेशों के दौरान दी जायेगी	
(च)	पहले सेमेस्टर के दौरान होने वाले आनुषंगिक व्यय	रुपए 14,295.00
	योग ((ख) और (घ)की राशि शामिल नहीं है जो कि बाद में सूचित की जायेगी)	**रुपए 41,495.00**

यदि उम्मीदवारों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता की मंजूरी मिल जाती है तो ऊपर उल्लिखित राशि में से निम्नलिखित राशि वापिस लौटा दी जाएगी:-

(क) जेब खर्च भत्ता **2,500/- रूपए** प्रति माह

(ख) कपड़ों एवं उपकरण की मदों के लिए

(ज्वॉइन के दौरान क्रय किया गया)

4. राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में निम्नलिखित छात्रवृत्तियां/वित्तीय सहायता दी जाती हैं:

(1) **परशुराम भाऊ पटवर्द्धन छात्रवृत्ति:** यह छात्रवृत्ति पासिंग आउट पाठ्यक्रम के अंतर्गत अकादमिक क्षेत्र में समग्रत: प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले कैडेट को प्रदान की जाती है। एकबारगी छात्रवृत्ति की राशि 5000/-रू है।

(2) **कर्नल कैंडल फ्रैंक मेमोरियल छात्रवृत्ति:** इस छात्रवृत्ति की राशि 4800.00 रूपए प्रति वर्ष है और यह एक मराठा कैडेट को दी जाती है जो पूर्व सैनिक का पुत्र होना चाहिए। यह छात्रवृत्ति सरकार से प्राप्त होने वाली किसी वित्तीय सहायता के अतिरिक्त होती है।

(3) **असम सरकार छात्रवृत्ति:** दो छात्रवृत्तियां असम के कैडेटों को प्रदान की जाएंगी। प्रत्येक छात्रवृत्ति 30 रु. प्रति मास की रहेगी तथा जब तक छात्र राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में रहेगा उसे मिलती रहेगी। यह छात्रवृत्ति **असम** के दो सर्वश्रेष्ठ कैडेटों को प्रदान की जाएगी जिसका उनके माता-पिता की आय से कोई संबंध नहीं होगा। जिन कैडेटों को यह छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी, वे सरकार की ओर से कोई अन्य वित्तीय सहायता प्राप्त करने के हकदार नहीं होंगे।

(4) **उत्तर प्रदेश सरकार प्रोत्साहन योजना—** उत्तर प्रदेश के माननीय राज्यपाल के अधीन उत्तर प्रदेश सैनिक पुनर्वास निधि नामक एक ट्रस्ट ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी /भारतीय सैन्य अकादमी अधिकारी

प्रशिक्षण अकादमी/ वायुसेना अकादमी/नौसेना अकादमी/महिला प्रवेश में ज्वॉइन करने वाले उन राष्ट्रीय कैडेटों के लिये एक प्रोत्साहन योजना शुरू की है जो उत्तर प्रदेश के जेसीओ रैंक तक के पूर्व सैनिकों उनकी विधवाओं के आश्रित हैं, और उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। इसमें विशेष प्रोत्साहन के रूप में प्रति उम्मीदवार 50,000/- रु के अनुदान का प्रावधान है।

(5) **केरल सरकार छात्रवृत्ति** — किसी भी लिंग-भेद और किसी पूर्व शर्त के बिना केरल राज्य के सभी पुरुष /महिला कैडेटों को, जिन्हें अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी/राष्ट्रीय रक्षा अकादमी /भारतीय सैन्य अकादमी/ नौसेना अकादमी/वायुसेना अकादमी/सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज/राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज स्कूलो में प्रवेश मिलता है, मात्र 2,00,000/- रु. की सांत्वना राशि दी जाएगी और जिन्हें सैन्य, नौसेना और वायुसेना नर्सिंग स्कूलों में प्रवेश मिलता है, उन्हें 1,00,000/- रु .की सांत्वना राशि दी जाएगी।

(6) **बिहारी लाल मंदाकिनी पुरस्कार:** अकादमी के प्रत्येक पाठ्यक्रम में सर्वश्रेष्ठ बंगाली लड़के के लिए 500/- रूपये का नकद पुरस्कार है। आवेदन पत्र कमांडेंट, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पास उपलब्ध है।

(7) **उड़ीसा सरकार छात्रवृत्तियां:** यह छात्रवृत्तियां–एक थलसेना, एक नौसेना तथा एक वायुसेना के कैडेट के लिए 80 रु. प्रति माह के हिसाब से उड़ीसा सरकार द्वारा उन कैडेटों को दी जाएंगी जो उड़ीसा राज्य के स्थायी निवासी हैं। इनमें से दो छात्रवृत्तियां उन कैडेटों की योग्यता तथा आय के साधन के आधार पर दी जाएंगी जिनके माता-पिता या अभिभावक की आय रु. 5000 प्रति वर्ष से अधिक न हो तथा एक अन्य छात्रवृत्ति माता-पिता या अभिभावकों की आय को ध्यान में रखे बिना सर्वश्रेष्ठ कैडेट को दी जाएगी।

<table>
<tr><th>क्रम. सं.</th><th>राज्य सरकार</th><th>राशि</th><th>पात्रता</th></tr>
<tr><td rowspan="2">(8)</td><td><u>पश्चिम बंगाल</u>
*आय

प्रारंभिक एकमुश्त अनुदान

छात्रवृति प्रति सत्र</td><td>निम्न मध्य उच्च

रु. 5000/- रु. 3,750/- रु. 2500/-

रु. 1800/- रु. 1350/- रु. 900/-</td><td rowspan="2">(i) कैडेट भारतीय नागरिक होना चाहिए और कैडेट और/अथवा उसके माता-पिता पश्चिम बंगाल राज्य के स्थायी निवासी होने चाहिए

(ii) कैडेट को मैरिट पर प्राप्त होने वाली छात्रवृत्ति अथवा वजीफे के सिवाए भारत सरकार और/अथवा राज्य सरकार अथवा किसी अन्य प्राधिकरण से कोई अन्य वित्तीय सहायता/अनुदान प्राप्त नहीं होता है।</td></tr>
<tr><td colspan="2">* आय समूह सारणी
निम्न - प्रति माह 9000/- रुपए तक
मध्य- प्रति माह 9001/- रुपए से 18000/-</td></tr>
</table>

	उच्च-- प्रति माह 18000/-रुपए		
(9)	**गोवा** प्रशिक्षण की अवधि के दौरान 1000/- रुपए प्रति माह (अधिकतम 24 माह अथवा पाठ्यक्रम की अवधि के दौरान, जो भी कम हो) और 12000/- रुपए का एकमुश्त आउटफिट भत्ता।		(i) कैडेट के माता-पिता/ अभिभावक की आय की सीमा 15,000/- रुपए प्रति माह (1,80,000/- रुपए प्रति वर्ष) से अधिक नहीं होनी चाहिए। (ii)अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. से संबंधित कैडेटों की आय सीमा 37,500/- रुपए प्रति माह (4,50,000/-रुपए प्रति वर्ष) से अधिक नहीं होनी चाहिए। (iii) वे किसी भी अन्य स्त्रोत से वित्तीय सहायता/निःशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त न कर रहे हों।
(10)	**नागालैंड**	1,00,000/- रुपए एकमुश्त भुगतान	नागालैंड राज्य का अधिवासी होना चाहिए।
(11)	**मणिपुर**	1,00,000/- रुपए एकमुश्त भुगतान	मणिपुर राज्य का अधिवासी होना चाहिए।
(12)	**अरुणाचल प्रदेश**	छात्रवृत्ति 1000/- रुपए प्रति माह एकमुश्त आउटफिट भत्ता 12,000/-रुपए	अरुणाचल प्रदेश राज्य का अधिवासी होना चाहिए।
(13)	**गुजरात**	छात्रवृति 6000/- रुपए प्रति वर्ष	गुजरात के सेवारत/भूतपूर्व मूल/अधिवासी सैनिक (भूतपूर्व/सेवारत अधिकारी सहित) के आश्रित को
(14)	**उत्तराखंड** (क) उत्तराखंड के अधिवासी एनडीए कैडेटों हेतु 250/- रु. प्रतिमाह की जेब खर्च राशि कैडेटों के पिता/अभिभावक को प्रदान की जाती है (पूर्व-सैनिक/विधवा के मामले में संबंधित जिला सैनिक कल्याण अधिकारियों के माध्यम से)। (ख) उत्तराखंड के अधिवासी एनडीए कैडेटों के पिता/अभिभावक को उच्चतर शिक्षा निदेशालय, हल्द्वानी के माध्यम से 50,000/- रु. का नकद पुरस्कार प्रदान किया जाता है।		

(15)	**<u>पंजाब</u>**	1,00,000/- रुपए एकमुश्त भुगतान	पंजाब राज्य का अधिवासी होना चाहिए।
(16)	**<u>सिक्किम</u>**	सभी अधिकारी प्रवेश योजनाओं के लिए रु.1,50,000/-	सभी अधिकारी प्रवेश योजनाओं के लिए सिक्किम के सफल उम्मीदवारों हेतु पुरस्कार
(17)	**<u>फ्लाइंग अफसर अनुज नांचल स्मारक छात्रवृत्ति</u>-** छठे सत्र में सभी क्षेत्रों में प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले वायुसेना कैडेट को क्रमशः1500/- तथा 1000/- रु.(एकमुश्त भुगतान)।		

(18) हिमाचल प्रदेश सरकार छात्रवृत्ति: हिमाचल प्रदेश के कैडेटों को 4 छात्रवृत्तियां प्रदान की जाएंगी। प्रशिक्षण के प्रथम दो वर्षों के लिए प्रत्येक छात्रवृत्ति के लिए 30 रूपए प्रतिमाह तथा प्रशिक्षण के तीसरे वर्ष के लिए 48 रूपए प्रतिमाह मिलेगी। यह छात्रवृत्ति उन कैडेटों को मिलेगी जिनके माता-पिता की मासिक आय 500 रूपए प्रतिमाह से कम होगी। जो कैडेट सरकार से वित्तीय सहायता ले रहा हो वह छात्रवृत्ति के लिए हकदार नहीं होगा।

(19) तमिलनाडु सरकार की छात्रवृत्ति: तमिलनाडु सरकार ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रति पाठ्यक्रम रु. 30 प्रतिमाह की एक छात्रवृत्ति तथा साथ में रु. 400 वर्दी भत्ता (कैडेट के प्रशिक्षण की पूरी अवधि के दौरान केवल एक बार) देना शुरू किया है जो उस कैडेट को दिया जाएगा जो तमिलनाडु राज्य का हो तथा जिसके माता-पिता/अभिभावक की मासिक आय 500 रु. से अधिक न हो। पात्र कैडेट अपना आवेदन कमांडेंट, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी को वहां पहुंचने पर प्रस्तुत कर सकते हैं।

इसके अलावा, तमिलनाडु सरकार के अंतर्गत कार्यरत पूर्व सैनिक कल्याण निदेशालय, चेन्नई ने स्थायी कमीशन अधिकारी के रूप में एनडीए/आईएमए/नौसेना या वायुसेना अकादमी में ज्वॉइन करने वाले पूर्व सैनिकों के पात्र बच्चों को 1,00,000/-रु. (केवल एक लाख रूपए) का एकमुश्त अनुदान (one time grant) मंजूर किया है।

(20) कर्नाटक सरकार की छात्रवृत्तियां- कर्नाटक सरकार ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रवेश पाने वाले कर्नाटक राज्य के कैडेटों को छात्रवृत्तियां प्रदान की हैं। छात्रवृत्ति की राशि 1,500/-रु.(एक हजार पाँच सौ रुपए) प्रतिमाह और प्रथम सत्र में वर्दी भत्ता की राशि-18,000/-रु. (अठारह हजार रुपए) प्रति वर्ष होगी।

(21) एलबर्ट एक्का छात्रवृत्ति: बिहार सरकार ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में योग्यता क्रम के आधार पर छः सत्र की पूरी समयावधि के लिए 50/- रु. प्रतिमाह की दर से 25 छात्रवृत्तियां और वर्दी तथा उपकरण के लिए एकमुश्त 650/-रु. देना शुरू किया है। जिस कैडेट को उपर्युक्त योग्यता छात्रवृत्ति मिलती है वह सरकार से किसी अन्य छात्रवृत्ति या वित्तीय सहायता का पात्र नहीं होगा। पात्र कैडेट राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में आने पर कमांडेंट को आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

(22) फ्लाईंग अफसर डीवी पिंटू मेमोरियल छात्रवृत्ति: ग्रुप कैप्टन एम. वशिष्ठ ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में योग्यता क्रम में प्रथम तीन स्थान पाने वाले कैडेटों को पहला सेमेस्टर पूरा करने पर दूसरे सत्र के समाप्त होने तक, एक सत्र के लिए 125/- रु. प्रतिमाह की दर से तीन छात्रवृत्तियां प्रारंभ की हैं। सरकारी वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले कैडेट उपर्युक्त छात्रवृत्ति पाने के लिए पात्र नहीं होंगे। पात्र कैडेट प्रशिक्षण स्थल पर पहुंचने के बाद कमांडेंट, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी को अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं।

(23) महाराष्ट्र राज्य के पूर्व सैनिकों के आश्रितों को वित्तीय सहायता : महाराष्ट्र के पूर्व सैन्य अधिकारियों/सैनिकों के जो आश्रित एनडीए में कैडेट के तौर पर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें एकमुश्त प्रोत्साहन के रूप में **1,00,000/-**रुपए दिए जाएंगे।

कैडेटों के माता-पिता/अभिभावकों को अकादमी से प्राप्त प्रमाणपत्र के साथ अपना आवेदन पत्र संबंधित जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। छात्रवृत्तियों पर लागू निबंधन और शर्तें, कमांडेंट, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, खड़कवासला, पुणे – 411023 से प्राप्त की जा सकती हैं।

(24) एनडीए में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हरियाणा के अधिवासी उम्मीदवारों को वित्तीय सहायता- हरियाणा राज्य सरकार ने एनडीए/आईएमए/ओटीए तथा राष्ट्रीय स्तर की अन्य रक्षा अकादमियों में सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने वाले हरियाणा राज्य के अधिवासी प्रत्येक व्यक्ति को 1,00,000/- रुपए (एक लाख रुपए) के नकद पुरस्कार की घोषणा की है।

(25) एनडीए में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे संघ शासित क्षेत्र चंडीगढ़ के अधिवासी कैडेटों को प्रोत्साहन- चंडीगढ़ प्रशासन ने उन कैडेटों को 1,00,000/- रुपए (केवल एक लाख रुपए) की एकमुश्त प्रोत्साहन राशि प्रदान करने हेतु योजना प्रारंभ की है जो संघ शासित क्षेत्र चंडीगढ़ के निवासी हैं तथा जिन्होंने एनडीए में प्रवेश लिया है।

(26) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए छात्रवृत्ति/अनुदान- राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे जो कैडेट राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के निवासी हैं उन्हें मासिक अनुदान 2000/- रु मिलेगा। एक प्रमाणिक निवासी का मतलब उन कैडेटों से होगा जिनका राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में शामिल होने के समय दस्तावेजों में दर्ज स्थायी घर का पता राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का है, (और इसमें एनसीआर शामिल नहीं हैं)। इसके लिए निवास प्रमाण (आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, उनके माता पिता के सेवा रिकॉर्ड आदि) की एक प्रति साथ लगानी होगी।

प्रशिक्षण:

5. तीनों सेनाओं, अर्थात् थलसेना, नौसेना और वायुसेना के लिए चयनित उम्मीदवारों को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए), जो कि अंतर-सेवा संस्था है, में 3 वर्ष की अवधि का अकादमिक और शारीरिक, दोनों प्रकार का प्रारंभिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। पहले ढाई वर्षों के दौरान दिया जाने वाला प्रशिक्षण

तीनों स्कंधों के उम्मीदवारों के लिए समान है। पास आउट होने वाले सभी उम्मीदवारों को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली द्वारा निम्नानुसार डिग्रियां प्रदान की जाएंगी:-

(क) थलसेना कैडेट - बी.एससी./ बी.एससी. (कंप्यूटर)/ बी.ए.

(ख) नौसेना कैडेट - बी.टेक. डिग्री*

(ग) वायुसेना कैडेट - बी.टेक. डिग्री*/बी एस सी/बी एस सी (कम्प्यूटर)

*नोट: बी.एससी./ बी.एससी. (कंप्यूटर)/ बी.ए. डिग्री पाठ्यक्रम वाले सभी कैडेटों को एनडीए में अकादमिक, शारीरिक तथा सेना संबंधी प्रशिक्षण पूरा कर लेने पर डिग्री प्रदान की जाएगी। बीटेक पाठ्यक्रम में शामिल सभी कैडेटों को बीटेक की डिग्री संबंधित कमीशन-पूर्व प्रशिक्षण अकादमी/संस्थान/पोत/विमान में प्रशिक्षण के उपरांत प्रदान की जाएगी।

नौसेना अकादमी के लिए चयनित उम्मीदवारों को भारतीय नौसेना अकादमी, एझिमाला में 4 वर्ष की अवधि के लिए अकादमिक तथा शारीरिक दोनों प्रकार का प्रारंभिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। 10+2 कैडेट प्रवेश योजना के कैडटों को सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने पर बी. टेक डिग्री प्रदान की जाएगी।

6. राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से पास होने के बाद थलसेना कैडेट भारतीय सैन्य अकादमी, देहरादून में, नौसेना कैडेट, भारतीय नौसेना अकादमी, एझिमाला में और वायुसेना कैडेट और ग्राउंड ड्यूटी गैर-तकनीकी शाखाएं, वायुसेना अकादमी, हैदराबाद में जाएंगे एवं वायुसेना कैडेट ग्राउंड ड्यूटी तकनीकी शाखा वायुसेना तकनीकी कालेज, बैंगलुरु में जाएंगे।

7. भारतीय सैन्य अकादमी (आईएमए) के सेना कैडेटों को जेंटलमैन/लेडी कैडेट कहा जाता है। इन्हें एक वर्ष की अवधि के लिए कड़ा सैन्य प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, जिसका उद्देश्य इन कैडेटों को इन्फैन्ट्री सब-यूनिटों का नेतृत्व करने हेतु सक्षम अधिकारी बनाना है। प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद जेन्टलमैन/लेडी कैडेटों को चिकित्सीय दृष्टि से योग्य “शेप” वन होने पर लेफ्टिनेंट के पद पर स्थायी कमीशन प्रदान किया जाता है।

8. (क) नौसेना कैडेटों के राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में पास होने पर उन्हें नौसेना की कार्यकारी शाखा के लिए चुना जाता है और, भारतीय नौसेना अकादमी, एझिमाला में और एक वर्ष की अवधि के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है जिसे सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद उन्हें सब लेफ्टिनेंट के रैंक में पदोन्नत किया जाता है।

(ख) नौसेना अकादमी के लिए 10+2 कैडेट प्रवेश योजना के तहत चुने गए उम्मीदवारों को नौसेना की आवश्यकताओं के अनुसार अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग (कार्यकारी शाखा के लिए), मैकेनिकल इंजीनियरिंग (नेवल आर्किटेक्ट स्पेशलाइजेशन सहित इंजीनियरिंग शाखा के लिए) अथवा इलेक्ट्रॉनिक्स व कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग (इलेक्ट्रिकल शाखा के लिए) में चार वर्षों के बी. टेक पाठ्यक्रम के लिए कैडेट के रूप में प्रवेश प्रदान किया जाएगा। इस पाठ्यक्रम के पूरा होने के बाद जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जे एन यू) द्वारा बी. टेक डिग्री प्रदान की जाएगी।

9. (क) वायुसेना उड़ान शाखा के कैडेटों को डेढ़ वर्ष तक उड़ान का प्रशिक्षण दिया जाता है। एक वर्ष का मूलभूत (पायलट) प्रशिक्षण पूरा होने पर उन्हें फ्लाइंग अफसर के रैंक में छह माह का अस्थायी कमीशन (परिवीक्षा पर) प्रदान किया जाता है। इसके बाद लगभग छह माह की अवधि का उड़ान प्रशिक्षण कन्वर्जन पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा करने वाले अधिकारियों को स्थायी कमीशन दिया जाता है।

(ख) वायुसेना की ग्राउंड ड्यूटी शाखा के कैडेटों को वायु सेना अकादमी में छह माह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद फ्लाइंग अफसर के रैंक में स्थायी कमीशन (परिवीक्षा पर) प्रदान किया जाता है। लगभग छह माह की परिवीक्षा अवधि पूरी होने पर स्थायी कमीशन की पुष्टि की जाती है।

(ग) नौसेना अकादमी के लिए (10+2 कैडेट एंट्री स्कीम के अंतर्गत) चयनित उम्मीदवारों को एप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक एवं संचार इंजीनियरिंग में (केवल कार्यकारी शाखा हेतु) चार वर्षीय बी.टेक पाठ्यक्रम के लिए कैडेट के रूप में शामिल किया जाएगा। पाठ्यक्रम पूरा होने पर, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) द्वारा बी.टेक की डिग्री प्रदान की जाएगी।

सेवाओं की शर्तें और नियम

10. सेना अधिकारी तथा वायुसेना एवं नौसेना के समकक्ष रैंक

(क) **<u>कैडेट प्रशिक्षण के लिए नियत वजीफा (स्टाइपेंड)</u>:-**

सेवा अकादमियों में प्रशिक्षण की संपूर्ण अवधि, अर्थात् भारतीय सैन्य अकादमी (आईएमए) में प्रशिक्षण की अवधि के दौरान, पुरुष/महिला कैडेटों को दिया जाने वाला स्टाइपेंड	56,100/- रु. प्रतिमाह* (वेतन स्तर 10 में आरंभिक वेतन)

* सफलतापूर्वक कमीशन प्राप्त करने के उपरांत, कमीशन प्राप्त अधिकारी का वेतन वेतन मेट्रिक्स के स्तर 10 के प्रथम सेल में निर्धारित किया जाएगा और प्रशिक्षण की अवधि को कमीशन प्राप्त सेवा की अवधि नहीं माना जाएगा। प्रशिक्षण अवधि के दौरान यथालागू देय भत्तों की बकाया राशि का भुगतान कैडेटों को किया जाएगा।

(ख) **<u>वेतन</u>**

(i)

रैंक	**पे लेवल (रु. में)**
लेफ्टिनेंट से मेजर	लेफ्टिनेंट - स्तर 10 (56,100-1,77,500) कैप्टन - स्तर 10 बी (61,300- 1,93,900) मेजर - स्तर 11 (69,400-2,07,200)
लेफ्टिनेंट कर्नल से मेजर जनरल	लेफ्टिनेंट कर्नल - स्तर 12 ए (1,21,200-2,12,400) कर्नल–लेवल -13 (1,30,600-2,15,900)

	ब्रिगेडियर - स्तर 13 ए (1,39,600-2,17,600) मेजर जनरल - स्तर 14 (1,44,200-2,18,200)
लेफ्टिनेंट जनरल (एच ए जी वेतनमान)	स्तर 15 (1,82,200-2,24,100)
(लेफ्टिनेंट जनरल एच ए जी+ वेतनमान)	स्तर 16 (2,05,400-2,24,400)
उप सेनाध्यक्ष/ सेना कमांडर/ लेफ्टिनेंट जनरल	स्तर 17 (2,25,000/-) (नियत)
सेनाध्यक्ष	स्तर 18 (2,50,000/-) (नियत)

(ii) अधिकारियों को दिया जाने वाला सैन्य सेवा वेतन **(एमएसपी)** निम्नानुसार है:-

लेफ्टिनेंट से ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारियों को दिया जाने वाला सैन्य सेवा वेतन (एम एस पी)	15,500/- रु. प्रतिमाह नियत

(iii) पद और तैनाती के क्षेत्र के आधार पर फील्ड क्षेत्रों में तैनात अधिकारी निम्नलिखित फील्ड क्षेत्र भत्ते के लिए पात्र होंगे-:

RH अधिकतम अधिकारी – रु . -/42500/-* सियाचिन भत्ता	**हार्डशिप**		
	उच्च	**मध्यम**	**कम**
उच्च	R1H1 अधिकारी – रु.**25000*** • उड़ान भत्ता • मार्कोस और चैरियट भत्ता • विशेष बल भत्ता • पनडुब्बी भत्ता • सोओबीआरए भत्ता • हाई एल्टिट्यूड भत्ता-श्रेणी III	R1H2 अधिकारी - रु.16900* • एचएएफए भत्ता • सीआई (एफडी) भत्ता (सीआई एमओडी एफडी @77% ऑफ सीआई एफडी)	R1H3 अधिकारी– रु. **5300*** • अस्पताल रोगी देखभाल भत्ता (एचपीसीए) • रोगी देखभाल भत्ता (पीसीए) • टेस्ट पायलट और फिट इंजीनियर भत्ता
मध्यम	R2H1 अधिकारी– रु. **16900*** शून्य	R2H2 अधिकारी– रु. **10500***	R2H3 अधिकारी– रु **.3400*** शून्य

		एफडी एरिया भत्ता (एफडी भत्ते का 60% @ एमओडी एफडी एरिया) • सीआई (शांति) भत्ता • समुद्र में जाने का भत्ता • फ्री फॉल जंप प्रशिक्षक भत्ता • पैरा जंप प्रशिक्षक भत्ता • पैरा भत्ता	
कम	R3H1 अधिकारी– रु. 5300* • हाई एल्टिट्यूड भत्ता – श्रेणी II • कठिन स्थान भत्ता-I • बॉयलर वॉच कीपिंग भत्ता • पनडुब्बी ड्यूटी भत्ता	R3H2 अधिकारी– रु. **3400*** • हाई एल्टिट्यूड भत्ता-श्रेणी I • कठिन स्थान भत्ता-II • प्रोजेक्ट भत्ता • प्रतिपूरक (कॉन्स्ट या एसवीवाई) भत्ता • हाइड्रो एसवीवाई भत्ता (गैर-सर्वेक्षकों को छोड़कर)	R3H3 अधिकारी– रु. **1200*** • कठिन स्थान भत्ता-III • खाना पकाने का भत्ता • हार्डलाईंग मनी (पूर्ण दर) • स्वास्थ्य और मलेरिया भत्ता • विशेष एलसी गेट भत्ता • पनडुब्बी टैक भत्ता • हाइड्रो एसवीवाई भत्ता (गैर-सर्वेक्षकों के लिए)

* महंगाई भत्ता इंडेक्स की दर 25% की बढ़ी हुई दर से परिकलित की जाएगी, क्योंकि दिनांक 01.01.2024 को महंगाई भत्ते की दर 50% को पार कर चुकी थी।

(iv) **अन्य भत्ते :-**

महंगाई भत्ता	उन्हीं दरों और शर्तों पर देय होगा जो समय-समय पर सिविलियन कार्मिकों के मामले में लागू हैं
पैरा भत्ता	रु.**10,500/-*** प्रति माह
पैरा रिज़र्व भत्ता	रु.**2,625/-*** प्रति माह
पैरा जंप प्रशिक्षक भत्ता	रु.**10,500/-*** प्रति माह
परियोजना भत्ता	रु.**3,400/-*** प्रति माह
विशेष बल भत्ता	रु.**25,000/-*** प्रति माह

तकनीकी भत्ता (टियर-I)	3,000/- प्रति माह
तकनीकी भत्ता (टियर-II)	4,500/- प्रति माह

(v) **<u>वर्दी भत्ता</u> 20,000/-*** रु. प्रतिवर्ष। (प्रत्येक बार महंगाई भत्ता 50% तक बढ़ने पर यह दर 25% बढ़ा दी जाएगी)

(vi) **<u>राशन सामग्री</u> : फील्ड और शांति क्षेत्र में**

(vii) **परिवहन भत्ता (TPTA)**

पे-लेवल	अधिक परिवहन भत्ते वाले शहर (रु. प्रति माह)	अन्य स्थान (रु. प्रति माह)
अधिकारी	7200 रु. + उस पर महंगाई भत्ता	3600 रु. + उस पर महंगाई भत्ता

(viii) **<u>संतान शिक्षा भत्ता</u>** - केवल पहले दो जीवित बच्चों के लिए **2,250/-* रु. प्रतिमाह प्रति बच्चा**। संतान शिक्षा भत्ता नर्सरी से कक्षा 12 तक के लिए देय होगा ।

(ix) **<u>छात्रावास की सब्सिडी</u>** - केवल पहले दो जीवित बच्चों के लिए **6,750/-* रु. प्रतिमाह प्रति बच्चा**। छात्रावास की सब्सिडी नर्सरी से कक्षा 12 तक के लिए देय होगी ।

(x) कैडट (डायरेक्ट) के समक्ष सैन्य प्रशिक्षण के कारण उत्पन्न या विकट हुई चिकित्सा आधार पर अशक्तता की स्थिति/ उसकी मृत्यु हो जाने पर, कैडेट (सीधी भर्ती)/निकटतम संबंधियों को निम्नानुसार आर्थिक लाभ प्रदान किया जाएगा:

(I) **<u>दिव्यांगता के मामले में</u>**

(i) 9000/- रु. प्रतिमाह की दर से मासिक अनुग्रह राशि।

(ii) दिव्यांगता की अवधि के दौरान 100% दिव्यांगता के लिए 16,200/- रु. प्रतिमाह की दर से दिव्यांगता अनुग्रह राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी जो कि दिव्यांगता की डिग्री 100% से कम होने पर समानुपातिक रूप से कम कर दी जाएगी। दिव्यांगता की डिग्री 20% से कम होने की स्थिति में कोई दिव्यांगता राशि देय नहीं होगी।

(iii) दिव्यांगता चिकित्सा बोर्ड (आई बी एम) की सिफारिश पर 100% दिव्यांगता के लिए 6,750/- रु. प्रतिमाह की दर से स्थाई परिचारक भत्ता (सीएए)।

(II) **<u>मृत्यु के मामले में</u>**

(i) निकटतम संबंधियों को 12.5 रु० लाख की अनुग्रह राशि

(ii) निकटतम संबंधियों को 9,000 रु॰ प्रतिमाह की दर से अनुग्रह राशि

नोट: 1. कैडेटों (सीधी भर्ती)/ निकटतम संबंधियों को अनुग्रह राशि पूर्णत: अनुग्रह आधार पर स्वीकृत की जाएगी और इसे किसी भी उद्देश्य के लिए पेंशन नहीं माना जाएगा।

2. मासिक अनुग्रह राशि के साथ-साथ अनुग्रह दिव्यांगता राशि पर लागू दरों के अनुसार महंगाई भत्ता प्रदान किया जाएगा।

* महंगाई भत्ता इंडेक्स की दर 25% की बढ़ी हुई दर से परिकलित की जाएगी, क्योंकि दिनांक 01.01.2024 को महंगाई भत्ते की दर 50% को पार कर चुकी थी।

11. (क) सेना सामूहिक बीमा फंड 3 साल के लिए प्री-कमीशन प्रशिक्षण ज्वाइनिंग की तारीख से कैडेट्स द्वारा 14,000/- रुपए (समय-समय पर संशोधन के अध्यधीन) के वापस न होने वाले एकमुश्त प्रीमियम का भुगतान किए जाने पर 30 लाख रूपए का बीमा कवर प्रदान करता है। यदि किसी कैडेट को निर्वासित किया जाता है तो उसे निर्वासित अवधि के लिये 2,635 रु (समय-समय पर संशोधन के अधीन) की दर से अतिरिक्त प्रीमियम देना होगा। दिव्यांगता के कारण जिन्हें दिव्यांगता चिकित्सा बोर्ड द्वारा बाहर कर दिया जाता है और जो किसी प्रकार की पेंशन के पात्र नहीं हैं, उन्हें 100% दिव्यांगता के लिए 25 लाख रूपए प्रदान किए जाएंगे। 20% दिव्यांगता के लिए इसे समानुपातिक रुप से कम करके पांच लाख तक कर दिया जाएगा। तथापि, 20% से कम दिव्यांगता के लिए प्रशिक्षण के पहले दो वर्ष के लिए केवल रु॰ 50,000/- का अनुग्रह अनुदान और प्रशिक्षण के तीसरे वर्ष के दौरान1,00,000/-रु॰ का अनुग्रह अनुदान दिया जाएगा। मदिरापान, नशे की लत तथा भर्ती से पहले हुए रोगों से उत्पन्न दिव्यांगता के लिए दिव्यांगता लाभ और अनुग्रह अनुदान देय नहीं होंगे। इसके अतिरिक्त, अनुशासनिक आधार पर निकाले गए, अवांछनीय के तौर पर निष्कासित अथवा स्वेच्छा से अकादमी छोड़ने वाले कैडेट भी दिव्यांगता लाभ और अनुग्रह अनुदान के लिए पात्र नहीं होंगे। इस योजना में कोई बचत घटक नहीं है।

(ख) कमीशन प्राप्त करने से पूर्व प्रशिक्षण के दौरान स्टाइपेंड प्राप्त कर रहे पुरुष/महिला कैडेटों के लिए सेना के नियमित अधिकारियों हेतु यथालागू **1.25** करोड़ रूपए का बीमा किया जाता है। मासिक **Rs. 12,500/-** रूपए का एजीआईएफ अंशदान पीसीडीए (ओ), पुणे द्वारा सीधे काट लिया जाएगा। **दिव्यांगता के कारण जिन्हें दिव्यांगता चिकित्सा बोर्ड द्वारा भारतीय सैन्य अकादमी से बाहर कर दिया जाता है, और जो किसी प्रकार की पेंशन के हकदार नहीं हैं, उन्हें 100% दिव्यांगता के लिए 25 लाख रुपए प्रदान किये जायेंगे। 20% दिव्यांगता के लिए इसे समानुपातिक रूप से कम करके 5 लाख रु॰ दिया जाएगा। तथापि, 20% से कम दिव्यांगता के लिए केवल 50,000/-रु॰ का अनुग्रह अनुदान दिया जाएगा।** मदिरापान, नशे की लत तथा भर्ती से पहले हुए रोगों से उत्पन्न दिव्यांगता के लिए दिव्यांगता लाभ और अनुग्रह अनुदान देय नहीं होंगे। इसके अतिरिक्त, अनुशासनिक आधार पर निकले गए, अवांछनीय के रूप में निष्कासित अथवा स्वेच्छा से अकादमी छोड़ने वाले पुरुष/महिला कैडेट भी दिव्यांगता लाभ और अनुग्रह अनुदान के लिए पात्र नहीं होंगे।

13. प्रोन्नति के अवसर:

क्रम सं.	सेना	नौसेना	वायुसेना	स्थायी पदोन्नति के लिए अपेक्षित न्यूनतम संगणनीय कमीशन प्राप्त सेवा
1	2	3	4	5
(क)	लेफ्टिनेंट	सब लेफ्टिनेंट	फ्लाइंग आफिसर	कमीशन प्राप्त होने पर
(ख)	कैप्टन	लेफ्टिनेंट	फ्लाइट लेफ्टिनेंट	02 वर्ष
(ग)	मेजर	लेफ्टिनेंट कमांडर	स्क्वाड्रन लीडर	06 वर्ष
(घ)	लेफ्टिनेंट कर्नल	कमांडर	विंग कमांडर	13 वर्ष
(च)	कर्नल (चयन)	कैप्टन (चयन)	ग्रुप कैप्टन(चयन)	चयन होने पर
(छ)	कर्नल (टाइम स्केल)	कैप्टन (टाइम स्केल)	ग्रुप कैप्टन(टाइम स्केल)	26 वर्ष
(ज)	ब्रिगेडियर	कमोडोर	एअर कमोडोर	चयन होने पर
(झ)	मेजर जनरल	रियर एडमिरल	एअर वाइस मार्शल	
(ट)	लेफ्टिनेंट जनरल	वाइस एडमिरल	एअर मार्शल	
(ठ)	जनरल	एडमिरल	एअर चीफ मार्शल	

14. सेवा निवृत्ति पर प्रदान किए जाने वाले लाभ

पेंशन, उपदान और कैजुअल्टी पेंशन संबंधी लाभ समय-समय पर लागू नियमों के अनुसार स्वीकार्य होंगे।

15. छुट्टी

समय-समय पर लागू नियमों के अनुसार छुट्टी स्वीकार्य होगी।

*****